

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
JAWAHARLAL NEHRU UNIVERSITY



वार्षिक लेखा
ANNUAL ACCOUNTS
2010—2011

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय – वार्षिक लेखा 2010–2011
विषय सूची


क्र.सं. विवरण	पृष्ठ संख्या
1 तुलन-पत्र	1
2 आय और व्यय लेखा	2
31.03.2011 के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ	
3 अनुसूची-1 पूंजीगत निधि	3
4 अनुसूची-2 कॉर्पस निधि	4
5 अनुसूची-3 उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधियाँ	5
6 अनुसूची-4 वर्तमान देयताएं और प्रावधान	6
7 अनुसूची-4.5 (ई) – विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार और राज्य सरकार से प्राप्त अप्रयुक्त अनुदान	7
8 अनुसूची-5 स्थायी परिसम्पत्तियाँ	8
9 अनुसूची-5क स्थायी परिसम्पत्तियाँ (योजनागत)	9
10 अनुसूची-5ख स्थायी परिसम्पत्तियाँ (योजनेतर)	10
11 अनुसूची-5ग स्थायी परिसम्पत्तियाँ (अन्य)	11
12 अनुसूची-6 कॉर्पस निधि और उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधियों से निवेश	12
13 अनुसूची-7 वर्तमान परिसम्पत्तियाँ, ऋण व अग्रिम	13–15
31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा के भाग के रूप में अनुसूचियाँ	
14 अनुसूची-8 अनुदान/आर्थिक सहायता (निर्गम अनुदान और प्राप्त आर्थिक सहायता)	16
15 अनुसूची-9 शैक्षिक प्राप्ति	17
16 अनुसूची-10 निवेशों से आय	18
17 अनुसूची-11 रॉयल्टी, प्रकाशनों आदि से प्राप्त आय	19

18	अनुसूची-12 अर्जित ब्याज	21
19	अनुसूची-13 अन्य आय	21
20	अनुसूची-14 पूर्व अवधि की आय	22
21	अनुसूची-15 स्थापना व्यय	23
22	अनुसूची-15'क' कर्मचारी सेवा निवृत्ति और सेवांत हितलाभ	24
23	अनुसूची-16 शैक्षिक व्यय	25
24	अनुसूची-17 प्रशासनिक व्यय	26
25	अनुसूची-18 मरम्मत और अनुरक्षण	27
26	अनुसूची-19 पूर्व अवधि के व्यय	27
31	मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखाओं के भाग के रूप में अनुसूचियाँ	
27	अनुसूची-20 विशिष्ट लेखांकन नीतियाँ	29-35
28	अनुसूची-21 आकस्मिक देयताएं और लेखाओं से संबंधित टिप्पणियाँ	36-38
29	प्राप्तियाँ और अदायगियाँ लेखा	39
	भविष्य निधि और नई पेंशन योजना के लेखे	
30	तुलन-पत्र - भविष्य निधि खाता	40
31	आय और व्यय लेखा - भविष्य निधि	41
32	प्राप्तियाँ और अदायगियाँ लेखा - भविष्य निधि	42
33	तुलन-पत्र - नई पेंशन योजना	43
34	आय और व्यय लेखा - नई पेंशन योजना	44
35	प्राप्तियाँ और अदायगियाँ लेखा - नई पेंशन योजना	45
	लेखाओं की लेखा-परीक्षा	
36	पृथक लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन	46-49
37	पृथक लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन पर विश्वविद्यालय की टिप्पणियाँ	50-55

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
31 मार्च, 2011 को तुलन-पत्र

पूंजीगत/कार्पस निधि और देयताएं	(राशि रुपयों में)		
देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
पूंजीगत निधि	1	—	—
कार्पस निधि	2	15,04,00,092	14,17,93,787
उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधि	3	78,81,47,473	68,15,42,791
वर्तमान देयताएं और प्रावधान	4	5,90,55,15,802	5,22,20,21,178
योग		6,84,40,63,367	6,04,53,57,756
परिसम्पत्तियाँ			
स्थायी परिसम्पत्तियाँ (निबल ब्लाक)	5	2,54,51,08,545	2,16,44,13,145
निवेश-उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधियाँ	6	63,95,08,296	63,27,58,056
वर्तमान परिसम्पत्तियाँ, ऋण और अग्रिम	7	2,54,88,92,195	2,25,76,38,405
पूंजीगत निधि	—	1,11,05,54,331	99,05,48,150
योग		6,84,40,63,367	6,04,53,57,756
विशिष्ट लेखांकन नीतियाँ	20		
संभाव्य देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियाँ	21		





राकेश मोहन
अनुभाग अधिकारी (लेखा)


शंकर धर
उप वित्त अधिकारी


राकेश कुमार वर्मा, (भा.ले. व ले.प.से.)
वित्त अधिकारी

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

(राशि रुपयों में)

	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
क. आय			
सहायता अनुदान/सहायता राशि	8	1,89,83,10,671	2,09,08,00,550
शैक्षिक प्राप्तियाँ	9	3,37,96,886	3,24,71,909
निवेशों से आय	10	1,47,34,889	2,55,98,510
रॉयल्टी, प्रकाशनों से आय	11	1,85,705	4,23,752
अर्जित ब्याज	12	1,94,27,078	68,11,140
अन्य आय	13	8,44,50,974	3,38,15,107
पूर्व अवधि की आय	14	1,00,000	12,49,802
योग (क)		2,05,10,06,203	2,19,11,70,770
ख. व्यय			
स्थापना व्यय	15	1,89,18,44,859	1,67,42,27,464
शैक्षिक व्यय	16	23,28,85,323	22,36,73,142
प्रशासनिक व्यय	17	37,38,71,544	46,56,25,945
मरम्मत व अनुरक्षण	18	4,11,51,098	4,67,01,864
मूल्यहास	5	11,88,12,762	11,32,92,156
पूर्व अवधि के व्यय	19	1,25,51,569	73,63,507
योग (ख)		2,67,11,17,155	2,53,08,84,078
शेष अधिशेष/(कमी) होने के कारण पूंजीगत निधि (क-ख) में अग्रणीत कर दिया		-62,01,10,952	-33,97,13,308
विशिष्ट लेखांकन नीतियाँ	20		
संभाव्य देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियाँ	21		
 राकेश मोहन अनुभाग अधिकारी (लेखा)	 शंकर धर उप वित्त अधिकारी	 राकेश कुमार वर्मा, (भा.ले. व ले.प.से.) वित्त अधिकारी	


31.03.2011 के अनुसार तुलन-पत्र के
भाग के रूप में अनुसूचियाँ

अनुसूची-1 पूंजीगत निधि

राशि रुपयों में

विवरण	चालू वर्ष 2010-11	पूर्व वर्ष 2009-10
वर्ष के प्रारम्भ में शेष	-99,05,48,150	-1,34,81,56,164
जमा - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार और राज्य सरकारों से प्राप्त अनुदान का पूंजीगत खर्च के लिए उपयोग	49,47,42,110	69,04,87,177
जमा - कॉर्पस निधि और उद्दिष्ट निधि में से खरीदी गई परिसम्पत्तियाँ	19,26,632	43,94,735
जमा - दान/उपहार स्वरूप प्राप्त परिसम्पत्तियाँ	6,27,026	5,36,217
जमा - प्रायोजित परियोजना निधियों में से खरीदी गई परिसम्पत्तियाँ	28,09,003	19,03,193
योग	-49,04,43,379	-65,08,34,842
घटा - आय और व्यय लेखा से स्थानांतरित घाटा	-62,01,10,952	-33,97,13,308
वर्ष के अंत में शेष	-1,11,05,54,331	-99,05,48,150


अनुभाग अधिकारी (लेखा)


उप वित्त अधिकारी


वित्त अधिकारी

अनुसूची-2 कॉर्पस निधि

राशि रुपयों में

विवरण	चालू वर्ष 2010-2011	पूर्व वर्ष 2009-2010
वर्ष के प्रारम्भ में शेष	14,17,93,787	12,95,99,891
जमा - मान्यता शुल्क और प्रभार	46,39,795	78,57,886
जमा - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरूपी अंशदान		
जमा - परामर्श शुल्क में विश्वविद्यालय का हिस्सा	2,38,248	2,31,074
जमा - निवेश पर ब्याज और प्रोदभूत ब्याज	66,37,443	68,92,910
जमा - प्रायोजित परियोजना निधियों के निवेश पर ब्याज		
जमा - बचत बैंक खाते पर ब्याज	6,78,320	6,92,202
योग	15,39,87,593	14,52,73,963
घटा - राजस्व व्यय	35,78,925	34,80,176
घटा - पूंजीगत व्यय	8,576	
योग	35,87,501	34,80,176
वर्ष के अंत में शेष	15,04,00,092	14,17,93,787

निम्न के द्वारा प्रस्तुत

बैंक शेष	4,10,02,500	1,75,68,353
निवेश - भारतीय रिजर्व बैंक बांड	6,89,29,000	6,47,56,000
निवेश - टीडीआर	3,34,00,000	5,26,40,310
प्रोदभूत ब्याज	70,68,592	68,29,124

योग

15,04,00,092

14,17,93,787

रा.मोहन

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

शंकरधर

उप वित्त अधिकारी

[Handwritten Signature]
वित्त अधिकारी

निधिवार विवरण

विवरण	शैक्षिक विकास निधि	गृह निर्माण अग्रिम निधि	निष्पन्न फाउंडेशन निधि	वि.अ.आ., जेआरएफ निधि	वाहन निधि	एक्विजम बैंक पुस्तकालय निधि	अनुप्रयुक्त मानव आनुवंशिकी केंद्र निधि	राजीव गाँधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति निधि	वृत्तिदान निधि	योग
क. अथ शेष	11,10,48,745	12,89,22,900	5,02,50,521	3,65,30,372	2,62,21,931	4,12,959	80,610	17,51,04,857	15,29,69,898	68,15,42,791
ख. वर्ष के दौरान परिवर्धन	4,23,10,961	67,75,261	—	5,92,31,649	71,73,213	7,50,000	—	14,01,00,000	6,92,371	25,70,33,455
ग. निधियों के निवेश से आय	35,20,807	8,48,564	23,83,387	—	2,08,049	30,001	—	81,67,837	82,62,635	2,34,21,280
घ. निधियों के निवेश से प्रोदभूत ब्याज	19,14,209	18,06,804	4,24,190	—	—	—	—	17,41,634	—	58,86,837
च. अग्रिमों पर प्रोदभूत ब्याज	—	16,97,692	—	—	17,26,233	—	—	—	—	34,23,925
छ. बचत बैंक खाता पर ब्याज	13,73,589	14,25,469	71,776	7,01,899	2,66,341	5,093	2,102	9,79,150	1,06,984	49,32,403
योग (क)	16,01,68,311	14,14,76,690	5,31,29,874	9,64,63,920	3,55,95,767	11,98,053	82,711	32,60,93,478	16,20,31,887	97,62,40,691

ख. निधियों के उद्देश्य हेतु उपयोग/व्यय

i) राजस्व व्यय	2,51,68,875	48,48,744	17,71,604	9,11,21,031	48,67,686	—	—	5,44,89,765	39,07,457	18,61,75,162
ii) पूंजीगत व्यय	13,10,461	—	—	—	—	6,07,595	—	—	—	19,18,056
योग (ख)	2,64,79,336	48,48,744	17,71,604	9,11,21,031	48,67,686	6,07,595	—	5,44,89,765	39,07,457	18,80,93,218


वर्ष के अंत में अंतशेष (क-ख)	13,36,88,975	13,66,27,946	5,13,58,270	53,42,889	3,07,28,081	5,90,458	82,711	27,16,03,713	15,81,24,430	78,81,47,473
------------------------------	--------------	--------------	-------------	-----------	-------------	----------	--------	--------------	--------------	--------------

निम्न के द्वारा प्रस्तुत

रोकड़ और बैंक शेष	5,89,12,060	7,43,02,870	30,47,130	53,42,889	1,66,98,738	5,90,458	82,711	4,20,62,079	30,32,084	20,40,71,019
निवेश	6,89,00,000	3,75,00,000	4,78,86,950	—	—	—	—	22,78,00,000	15,50,92,346	53,71,79,296
प्रोदभूत लेकिन निवेशों पर अप्राप्य ब्याज	19,14,209	18,06,804	4,24,190	—	—	—	—	17,41,634	—	58,86,837
प्रोदभूत लेकिन अग्रिमों पर अप्राप्य ब्याज	—	2,30,18,272	—	—	1,40,29,343	—	—	—	—	3,70,47,615
अन्य निधियों में से अग्रिम	39,62,706	—	—	—	—	—	—	—	—	39,62,706
चालू वर्ष (2010-2011)	13,36,88,975	13,66,27,946	5,13,58,270	53,42,889	3,07,28,081	5,90,458	82,711	27,16,03,713	15,81,24,430	78,81,47,473

रा.प्रो.एन.
अनुभाग अधिकारी (लेखा)

रंजित धर
उप वित्त अधिकारी


वित्त अधिकारी

अनुसूची-4 : वर्तमान देयताएं और प्रावधान

राशि रुपयों में

क. वर्तमान देयताएं	चालू वर्ष 2010-11	पूर्व वर्ष 2009-2010
1. जमा		
क. स्टाफ से जमा	—	—
ख. छात्रों से जमा —		
i पुस्तकालय जमा	1,22,750	1,22,750
ii छात्र छात्रावास प्रतिभूति	26,700	3,250
iii प्रतिभूति जमा	16,32,605	16,32,605
iv अन्य पाठ्येतर गतिविधियाँ	8,18,570	9,02,607
ग. आपूर्तिकर्ता और संविदा से		
i बयाना जमा	11,47,544	38,26,150
ii प्रतिभूति जमा	98,29,119	1,12,52,170
घ. अन्य निधियाँ		
i कुलपति स्वनिर्णय निधि	1,56,993	1,89,993
ii अलुमनी एसोसिएशन निधि	11,66,537	9,49,326
iii छात्र सहायता निधि	13,91,665	4,90,628
ड. अन्य जमा	1,23,51,674	3,79,55,183
2. सांविधिक देयताएं (जी.आई.एस., जी.पी.एफ., टी.डी.एस., वर्क कंट्रेक्ट टेक्स आदि)		
क. पुरानी देय राशि	—	—
ख. अन्य	2,24,13,880	2,07,15,884
3. अन्य वर्तमान देयताएं		
क) वेतन	4,64,06,429	5,18,53,249
ख) चल रही प्रायोजित/परामर्श/परियोजनाओं हेतु प्राप्तियाँ (नेट व्यय)	36,20,43,702	42,01,20,902
ग) प्रायोजित सम्मेलनों/संगोष्ठियों हेतु प्राप्तियाँ (नेट व्यय)	—	—
घ) वितरण हेतु परामर्श शुल्क, बौद्धिक शुल्क	—	—
ड) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/भारत सरकार/राज्य सरकारों से प्राप्त अव्ययित अनुदान-अग्रेनीत	1,15,78,80,775	1,12,43,37,899
छ) अन्य (ब्यौरा दें)		
i एस. क्रेडिटर्स सहित बकाया देयताएं	3,57,30,151	2,10,50,878
ii अन्य चालू देयताएं	27,74,585	18,95,048
ज) प्रायोजित अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्तियों हेतु प्राप्तियाँ	11,79,01,016	6,57,70,620
4. अग्रिम में प्राप्त आय	25,01,035	20,89,390
योग (क)	1,77,62,95,727	1,76,51,58,530
ख. प्रावधान	चालू वर्ष 2010-11	पूर्व वर्ष 2009-2010
1. अधिवर्षिता/पेंशन	3,28,66,78,000	2,62,12,29,000
2. उपदान	50,60,93,310	51,70,14,218
3. छुट्टी नकदीकरण	33,64,48,765	31,86,19,430
4. दावे	—	—
5. अन्य (ब्यौरा दें)	—	—
योग (ख)	4,12,92,20,075	3,45,68,62,648
योग (क + ख)	5,90,55,15,802	5,22,20,21,178

रामोहन
अनुभाग अधिकारी (लेखा)

शंकर शर्मा
उप वित्त अधिकारी

वित्त अधिकारी

अनुसूची-4.5 (ई) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार और राज्य सरकारों से प्राप्त अप्रयुक्त अनुदान

राशि रुपयों में

	चालू वर्ष 2010-2011	पूर्व वर्ष 2009-2010
क. योजना अनुदान : भारत सरकार शेष अग्रानीत जमा - वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ योग (क)	1,21,36,981 1,66,87,392 2,88,24,373	95,28,175 1,09,56,000 2,04,84,175
घटा - वापसियाँ घटा - राजस्व व्यय हेतु प्रयुक्त घटा - पूंजीगत व्यय हेतु प्रयुक्त योग (ख)	3,15,967 31,24,399 95,82,771 1,30,23,137	3,83,028 32,52,652 47,11,514 83,47,194
अप्रयुक्त अग्रानीत योग (क-ख)	1,58,01,236	1,21,36,981
ख. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुदान शेष अग्रानीत वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ योग (ग)	1,11,22,00,918 2,41,36,69,383 3,52,58,70,301	1,07,82,16,989 2,80,75,84,025 3,88,58,01,014
घटा - वापसियाँ घटा - राजस्व व्यय हेतु प्रयुक्त घटा - पूंजीगत व्यय हेतु प्रयुक्त योग (घ)	34,45,151 1,89,51,86,272 48,51,59,339 2,38,37,90,762	2,76,536 2,08,75,47,898 68,57,75,663 2,77,36,00,097
अप्रयुक्त अग्रानीत योग (ग-घ)	1,14,20,79,539	1,11,22,00,918
ग. राज्य सरकार से अनुदान शेष अग्रानीत जमा - वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ योग (ङ)	- - -	- - -
घटा - राजस्व व्यय हेतु प्रयुक्त घटा - पूंजीगत व्यय हेतु प्रयुक्त योग (च)	- - -	- - -
अप्रयुक्त अग्रानीत कुल योग (क+ख+ग)* योग (ङ-च)	- 1,15,78,80,775	- 1,12,43,37,899

नोट : *पूंजीगत खाता पर अग्रिम शामिल है।


अनुभाग अधिकारी (लेखा)


उप वित्त अधिकारी


वित्त अधिकारी

अनुसूची-5 स्थायी परिसंपत्तियाँ

राशि रुपयों में

क्र. सं.	परिसम्पत्तियाँ शीर्ष	कुल ब्लाक			वर्ष 2010-11 के लिए मूल्यहास					नेट ब्लाक	
		अधशेष 01.04.10	परिवर्धन	कटौतियाँ	अन्त शेष	मूल्यहास अधशेष	वर्ष के लिए मूल्यहास	कटौतियाँ/ समायोजन	कुल मूल्यहास	31.03.2011	31.03.2010
1	भूमि	21,08,53,672	-	-	21,08,53,672	-	-	-	-	21,08,53,672	21,08,53,672
2	स्थल विकास	6,91,78,274	-	-	6,91,78,274	-	-	-	-	6,91,78,274	6,91,78,274
3	भवन	76,19,61,396	2,32,646	-	76,21,94,042	13,92,22,008	1,52,43,881	-	15,44,65,889	60,77,28,153	62,27,39,388
4	सड़क व पुल	7,04,489	1,74,60,127	-	1,81,64,616	1,54,423	3,63,292	-	5,17,715	1,76,46,901	5,50,066
5	नलकूप व जल-आपूर्ति	3,43,20,493	3,35,168	-	3,46,55,661	46,71,374	6,93,113	-	53,64,487	2,92,91,174	2,96,49,119
6	सीवर और जल निकास	24,16,129	-	-	24,16,129	9,86,149	48,323	-	10,34,472	13,81,657	14,29,980
7	विद्युत स्थापना और उपकरण	13,03,57,770	59,80,178	2,85,241	13,60,52,707	5,91,93,005	68,02,635	2,48,325	6,57,47,316	7,03,05,391	7,11,64,764
8	प्लांट व मशीनरी	1,12,78,871	41,29,546	3,00,000	1,51,08,417	64,53,105	7,55,421	2,99,999	69,08,527	81,99,890	48,25,766
9	वैज्ञानिक और प्रयोगशाला उपकरण	60,93,43,638	5,09,38,137	5,00,380	65,97,81,395	31,54,26,352	5,26,62,512	379	36,80,88,485	29,16,92,910	29,39,17,286
10	कार्यालय उपकरण	2,69,72,393	29,71,818	10,29,630	2,89,14,581	2,27,93,246	21,68,594	9,84,088	2,39,77,751	49,36,830	41,79,147
11	दृश्य श्रव्य उपकरण	4,01,31,480	31,74,001	-	4,33,05,481	3,05,20,840	32,47,911	-	3,37,68,751	95,36,730	96,10,640
12	कंप्यूटर और पेरिफेरल्स	26,41,88,619	1,54,11,969	22,31,950	27,73,68,638	22,29,25,129	1,42,14,779	22,31,949	23,49,07,959	4,24,60,679	4,12,63,490
	साफ्टवेयर	3,66,60,738	25,61,517	-	3,92,22,255	3,42,75,489	28,65,141	-	3,71,40,630	20,81,625	23,85,249
13	फर्नीचर; फिक्सचर्स और फिटिंग्स	13,04,52,322	53,08,769	3,16,544	13,54,44,547	7,02,74,200	1,01,58,341	3,02,397	8,01,30,144	5,53,14,403	6,01,78,122
14	वाहन	79,26,742	45,488	3,49,102	76,23,128	78,57,271	90,427	3,49,101	75,98,597	24,531	69,472
15	पुस्तकालय पुस्तकें और वैज्ञानिक पत्रिकाएं	43,58,66,343	4,90,50,050	-	48,49,16,393	42,97,32,883	79,57,507	-	43,76,90,390	4,72,26,003	61,33,460
	ई-जर्नल	2,52,59,600	28,18,148	-	2,80,77,748	2,51,84,442	11,77,364	-	2,63,61,806	17,15,942	75,158
16	कम लागत की परिसंपत्तियाँ	-	3,63,521	-	3,63,521	-	3,63,521	-	3,63,521	-	-
17	अन्य	7,63,63,000	-	-	7,63,63,000	7,63,62,999	-	-	7,63,62,999	1	1
	योग	2,87,42,35,968	16,07,81,083	50,12,847	3,03,00,04,204	1,44,60,32,916	11,88,12,762	44,16,238	1,56,04,29,440	1,46,95,74,764	1,42,82,03,052
18	प्रगति पर पूँजीगत कार्य	73,62,10,092	33,93,23,688	-	1,07,55,33,780	-	-	-	-	1,07,55,33,780	73,62,10,092
	कुल योग	3,61,04,46,060	50,01,04,771	50,12,847	4,10,55,37,984	1,44,60,32,916	11,88,12,762	44,16,238	1,56,04,29,440	2,54,51,08,545	2,16,44,13,145

र.प्रो.एन
अनुभाग अधिकारी (लेखा)

शंकर शर्मा
उप वित्त अधिकारी

वित्त अधिकारी

अनुसूची-5क योजनागत

राशि रुपयों में

क्र. सं.	परिसम्पत्तियाँ शीर्ष	कुल ब्लाक				वर्ष 2010-2011 के लिए मूल्यहास				निवल ब्लाक	
		अथशेष 01.04.2010	परिवर्धन	कटौतियाँ	अन्त शेष	मूल्यहास अथशेष	वर्ष के लिए मूल्यहास	कटौतियाँ/ समायोजन	कुल मूल्यहास	31.03.2011	31.03.2010
1	भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	स्थल विकास	1,38,76,326	-	-	1,38,76,326	-	-	-	-	1,38,76,326	1,38,76,326
3	भवन	38,64,00,466	2,32,646	-	38,66,33,112	1,45,03,021	77,32,662	-	2,22,35,683	36,43,97,429	37,18,97,445
4	सड़क व पुल	-	1,74,60,127	-	-	-	-	-	-	-	-
5	नलकूप व जल-आपूर्ति	2,20,15,356	1,38,900	-	2,21,54,256	14,38,048	4,43,085	-	18,81,133	2,02,73,123	2,05,77,308
6	सीवर और जल निकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	विद्युत स्थापना और उपकरण	2,62,79,215	40,11,959	-	3,02,91,174	41,30,546	15,14,559	-	56,45,104	2,46,46,070	2,21,48,669
8	प्लांट व मशीनरी	47,30,263	40,25,371	-	87,55,634	5,18,796	4,37,782	-	9,56,577	77,99,057	42,11,467
9	वैज्ञानिक और प्रयोगशाला उपकरण	37,09,43,101	4,75,97,290*	5,00,000	41,80,40,391	8,00,35,065	3,33,23,231	-	11,33,58,296	30,46,82,095	29,09,08,036
10	कार्यालय उपकरण	34,87,358	14,11,076	-	48,98,434	11,34,708	3,67,383	-	15,02,091	33,96,343	23,52,650
11	दृश्य श्रव्य उपकरण	1,73,09,791	30,08,842	-	2,03,18,633	34,42,367	15,23,897	-	49,66,265	1,53,52,368	1,38,67,424
12	कंप्यूटर और पेरिफेरल्स	11,68,23,885	1,35,47,837	-	13,03,71,722	7,73,19,309	2,60,74,344	-	10,33,93,654	2,69,78,068	3,95,04,576
	साफ्टवेयर	2,99,68,414	23,35,376	-	3,23,03,790	2,87,07,470	21,95,093	-	3,09,02,563	14,01,227	12,60,944
13	फर्नीचर, फिक्सचर्स और फिटिंग्स	5,33,13,044	38,21,724	-	5,71,34,768	1,40,76,408	42,85,108	-	1,83,61,515	3,87,73,253	3,92,36,636
14	वाहन	18,60,079	45,488	-	19,05,567	7,57,175	1,90,557	-	9,47,731	9,57,837	11,02,904
15	पुस्तकालय पुस्तकें और वैज्ञानिक पत्रिकाएं	8,63,25,832	4,26,85,750	-	12,90,11,582	2,86,31,538	1,29,01,158	-	4,15,32,696	8,74,78,886	5,76,94,294
	ई-जर्नल	2,20,69,151	28,18,148	-	2,48,87,299	2,19,93,992	12,02,417	-	2,31,96,409	16,90,890	75,159
16	कम लागत की परिसंपत्तियाँ	-	92,542	-	92,542	-	92,542	-	92,542	-	-
17	अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग	1,15,54,02,281	14,32,33,076	5,00,000	1,28,06,75,230	27,66,88,442	9,22,83,818	-	36,89,72,260	91,17,02,970	87,87,13,839
18	प्रगति पर पूंजीगत कार्य	49,53,27,357	33,54,97,804	-	83,08,25,161	-	-	-	-	83,08,25,161	49,53,27,357
	कुल योग (1-18)	1,65,07,29,638	47,87,30,880	5,00,000	2,11,15,00,391	27,66,88,442	9,22,83,818	-	36,89,72,260	1,74,25,28,131	1,37,40,41,196

नोट - *दर्शाई गई कटौती वर्ष 2007-08 के दौरान अधिक बुक की गई प्रयोगशाला उपकरणों की राशि है।


अनुभाग अधिकारी (लेखा)


उप वित्त अधिकारी


वित्त अधिकारी

अनुसूची-5 ख योजनेत्तर

राशि रुपयों में

क्र. सं.	परिसम्पत्तियाँ शीर्ष	कुल ब्लाक				वर्ष 2010-11 के लिए मूल्यहास				निवल ब्लाक	
		अथशेष 01.04.10	परिवर्धन	कटौतियाँ	अन्त शेष	मूल्यहास अथशेष	वर्ष के लिए मूल्यहास	कटौतियाँ/ समायोजन	कुल मूल्यहास	31.03.2011	31.03.2010
1	भूमि	18,64,00,000	-	-	18,64,00,000	-	-	-	-	18,64,00,000	18,64,00,000
2	स्थल विकास	14,34,798	-	-	14,34,798	-	-	-	-	14,34,798	14,34,798
3	भवन	7,02,782	-	-	7,02,782	33,634	14,056	-	47,690	6,55,092	6,69,148
4	सड़क व पुल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	नलकूप व जल-आपूर्ति	36,18,309	1,96,268	-	38,14,577	2,42,002	76,292	-	3,18,293	34,96,284	33,76,307
6	सीवर और जल निकास	95,409	-	-	95,409	11,449	1,908	-	13,357	82,052	83,960
7	विद्युत स्थापना और उपकरण	3,55,04,241	19,17,703	-	3,74,21,944	78,07,348	18,71,097	-	96,78,445	2,77,43,499	2,76,96,893
8	प्लांट व मशीनरी	23,14,704	1,04,175	-	24,18,879	5,81,155	1,20,944	-	7,02,099	17,16,780	17,33,549
9	वैज्ञानिक और प्रयोगशाला उपकरण	7,20,21,206	9,67,918	-	7,29,89,124	2,56,64,206	58,39,130	-	3,15,03,336	4,14,85,788	4,63,57,000
10	कार्यालय उपकरण	74,32,880	15,60,742	-	89,93,622	20,61,209	6,74,522	-	27,35,731	62,57,891	53,71,671
11	दृश्य श्रव्य उपकरण	29,32,868	1,65,159	-	30,98,027	9,41,189	2,32,352	-	11,73,541	19,24,486	19,91,679
12	कंप्यूटर और पेरिफेरल्स	3,15,56,045	13,32,416	-	3,28,8,461	2,41,99,178	65,77,692	-	3,07,76,870	21,11,591	73,56,867
	साफ्टवेयर	66,92,324	1,35,134	-	68,27,458	63,19,125	4,27,251	-	67,46,376	81,081	3,73,199
13	फर्नीचर, फिक्सचर्स और फिटिंग्स	3,03,60,229	13,11,141	-	3,16,71,370	91,76,063	23,75,353	-	1,15,51,416	2,01,19,954	2,11,84,165
14	वाहन	17,63,169	-	-	17,63,169	5,96,927	1,76,317	-	7,73,244	9,89,925	11,66,242
15	पुस्तकालय पुस्तकें और वैज्ञानिक पत्रिकाएं ई-जर्नल	7,11,21,608 31,90,449	42,23,711 -	- -	7,53,45,319 31,90,449	2,99,58,668 31,90,448	75,34,532 -	- -	3,74,93,200 31,90,448	3,78,52,119 1	4,11,62,940 1
16	कम लागत की परिसंपत्तियाँ	-	2,70,979	-	2,70,979	-	2,70,979	-	2,70,979	-	-
17	अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग	45,71,41,020	1,21,85,346	-	46,93,26,366	11,07,82,601	2,61,92,424	-	13,69,75,025	33,23,51,341	34,63,58,419
18	प्रगति पर पूंजीगत कार्य	7,45,77,132	38,25,884	-	7,84,03,016	-	-	-	-	7,84,03,016	7,45,77,132
	कुल योग (1-18)	53,17,18,152	1,60,11,230	-	54,77,29,382	11,07,82,601	2,61,92,424	-	13,69,75,025	41,07,54,357	42,09,35,551


अनुभाग अधिकारी (लेखा)


उप वित्त अधिकारी


वित्त अधिकारी

अनुसूची-5 ग अन्य

क्र. सं.	परिसम्पत्तियाँ शीर्ष	कुल ब्लाक				वर्ष 2010-11 के लिए मूल्यहास				निवल ब्लाक 31.03.2011
		अथशोध 01.04.10	परिवर्धन	कटौतियाँ	अन्त शेष	मूल्यहास अथशोध	वर्ष के लिए मूल्यहास	कटौतियाँ/ समायोजन	कुल मूल्यहास	
1	भूमि	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	स्थल विकास	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	भवन	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4	सड़क व पुल	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5	नलकूप व जल-आपूर्ति	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6	सीवर और जल निकास	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7	विद्युत स्थापना और उपकरण	--	50,516	--	50,516	--	2,526	--	2,526	47,990
8	प्लांट व मशीनरी	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9	वैज्ञानिक और प्रयोगशाला उपकरण	--	23,72,929	--	23,72,929	--	1,89,834	--	1,89,834	21,83,095
10	कार्यालय उपकरण	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11	दृश्य श्रव्य उपकरण	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12	कंप्यूटर और पेरिफेरल्स	--	5,31,716	--	5,31,716	--	1,06,343	--	1,06,343	4,25,373
	साफ्टवेयर	--	91,007	--	91,007	--	36,403	--	36,403	54,604
13	फर्नीचर; फिक्सचर्स और फिटिंग्स	--	1,75,904	--	1,75,904	--	13,193	--	13,193	1,62,711
14	वाहन	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15	पुस्तकालय पुस्तकें और वैज्ञानिक पत्रिकाएं ई-जर्नल	--	21,40,589	--	21,40,589	--	2,14,059	--	2,14,059	19,26,530
16	कम लागत की परिसंपत्तियाँ	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17	अन्य	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	योग	--	53,62,661	--	53,62,661	--	5,62,358	--	5,62,358	48,00,303
18	प्रगति पर पूंजीगत कार्य	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	कुल योग (1-18)	--	53,62,661	--	53,62,661	--	5,62,358	--	5,62,358	48,00,303

नोट : वर्ष के दौरान निम्न में परिवर्धन शामिल हैं :

दान में की गई परिसम्पत्तियाँ	परिवर्धन
शैक्षिक विकास निधि	6,27,026
एकिजम बैंक पुस्तकालय	13,10,461
जमा	6,07,595
प्रायोजित परियोजना	8,576
योग	28,09,003
	<hr/>
	53,62,661

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

उप वित्त अधिकारी

वित्त अधिकारी


अनुसूची-6 : कॉर्पस निधि और उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधि से निवेश


निवेश	राशि रुपयों में	
	चालू वर्ष 2010-2011	पूर्व वर्ष 2009-2010
1. सरकारी प्रतिभूतियाँ	—	—
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	—	—
3. डिबेंचर और बॉण्ड	6,89,29,000	11,01,57,000
4. अन्य आवधिक बैंक जमा रसीद में	57,05,79,296	52,26,01,056
योग	63,95,08,296	63,27,58,056

उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधि (निधि-वार)

निधि	राशि रुपयों में	
	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. कॉर्पस निधि निवेश	10,23,29,000	11,73,96,310
2. शैक्षिक विकास निधि निवेश	6,89,00,000	10,86,58,000
3. गृह निर्माण अग्रिम निधि निवेश	3,75,00,000	4,82,12,000
4. वाहन निधि निवेश	—	1,02,52,000
5. निष्पन्न फाउन्डेशन निधि निवेश	4,78,86,950	4,83,09,994
6. राजीव गाँधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति निधि निवेश	22,78,00,000	16,66,69,000
7. वृत्तिदान निधि निवेश	15,50,92,346	13,32,60,752
योग	63,95,08,296	63,27,58,056


अनुभाग अधिकारी (लेखा)



उप वित्त अधिकारी


वित्त अधिकारी

अनुसूची-7 : वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम

विवरण	चालू वर्ष 2010-2011	पूर्व वर्ष 2009-2010
क. वर्तमान परिसम्पत्तियाँ		
1. वस्तु सूचियाँ – लेखन सामग्री, सफाई सामग्री, भवन सामग्री, विद्युत सामग्री, प्रयोगशाला केमिकल और अन्य सामग्री तथा जल आपूर्ति सामग्री	36,84,553	21,86,585
2. रोकड़ और बैंक शेष		
क. हाथ रोकड़ (स्टाम्प्स, अग्रदाय रोकड़ और चैक/ड्राफ्ट सहित)	2,68,979	6,68,534
ख. अनुसूचित बैंकों में बैंक शेष		
– बचत खातों में	1,36,52,40,307	1,06,62,62,046
– चालू खातों में	1,53,86,577	2,31,15,958
– जमा खाता (आवधिक जमा सहित) में	70,17,25,654	74,76,01,783
योग (क)	2,08,63,06,070	1,83,98,34,906


अनुभाग अधिकारी (लेखा)


उप वित्त अधिकारी


वित्त अधिकारी

राशि रुपयों में

विवरण	चालू वर्ष 2010-2011	पूर्व वर्ष 2009-2010
खा. ऋण और अग्रिम		
क. ऋण	—	—
ख. कर्मचारियों को अग्रिम (बिना ब्याज के)	—	—
— वेतन	—	—
— त्योहार	8,46,911	6,09,611
— छुट्टी यात्रा रियायत	15,22,234	14,83,744
ग. वसूली योग्य अग्रिम व अन्य राशियाँ – नकद या वस्तु के रूप में या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य में		
— उपकरण आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	13,56,27,057	4,40,06,319
— पूंजीगत खाता पर अग्रिम – सिविल कार्य	8,36,47,176	25,80,12,353
— उद्दिष्ट निधि अग्रिम	39,62,706	
— अन्य	4,20,84,276	3,65,51,013
घ. पूर्वदत्त व्यय		
— बीमा	1,658	62,829
— अन्य व्यय	33,68,636	6,02,915
ङ. प्रोदभूत लेकिन अप्राप्य आय		
— निवेश से	—	—
उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधि	40,80,033	55,75,935
जमा खाता	1,08,941	3,14,048
कॉर्पस निधि	70,68,592	68,29,124
प्रायोजित परियोजना	79,53,430	84,46,967
अनुरक्षण खाता	38,87,696	44,32,701
योजनागत खाता में से किया गया आवधिक जमा	6,81,108	4,65,738
— कर्मचारियों को ब्याज पर दिए गए अग्रिम	3,97,11,160	4,21,80,637
च. अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ – वि.अ.आ., भारत सरकार, परियोजनाओं के प्रायोजक और निधियों से वसूली योग्य	11,67,68,646	11,16,678
छ. एन.पी.एस. टीयर-1 से प्राप्य	8,11,612	8,11,412
ज. दुकानों से प्राप्य आय	1,04,54,253	63,01,475
योग ख	46,25,86,125	41,78,03,499
योग (क+ख)	2,54,88,92,195	2,25,76,38,405

टिप्पणी : 1. संलग्नक 'क' बैंक शेषों के विवरण दर्शाता है।

2. चूकि परिक्रामी निधि का सृजन स्टाफ के लिए गृह निर्माण, कंप्यूटर और वाहन अग्रिमों के लिए किया गया है, अतः अग्रिमों को उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधियों के भाग के रूप में दर्शाया जाएगा। ब्याज पर दिए गए इन अग्रिमों के शेषों को इस अनुसूची में नहीं दर्शाया जाएगा।

राजीव

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

शंकर झा

उप वित्त अधिकारी

वित्त अधिकारी

संलग्नक-क

I. बचत बैंक खाते	2010-11	राशि रुपयों में
कॉर्पोस निधि खाता		4,10,02,500
1. कॉर्पोस निधि खाता	4,10,02,500	
जमा निधि खाता		1,01,46,913
2. जमा खाता	98,82,043	
3. छात्र सहायता निधि खाता	1,92,603	
4. छात्र खाता	72,267	
विकास योजनागत निधि खाता		83,26,17,108
5. संयुक्त प्रवेश परीक्षा (सीबीटी) खाता	11,88,96,637	
6. विकास (योजनागत) खाता	51,58,70,048	
7. आधारीक संरचना विकास निधि खाता	15,82,66,884	
8. वि.अ.आ. योजनागत अध्येतावृत्ति खाता	3,95,83,538	
उद्दिष्ट निधि खाता		20,40,71,018
9. शैक्षिक विकास निधि खाता	5,89,12,060	
10. सीएचजी निधि खाता	82,711	
11. वाहन निधि खाता	1,66,98,738	
12. एक्जिम बैंक पुस्तकालय निधि खाता	5,90,458	
13. गृह निर्माण अग्रिम निधि खाता	7,43,02,870	
14. निष्पन्न फाउंडेशन निधि (एफ.सी.आर.ए.) खाता	30,47,130	
15. वृत्तिदान और चेयर खाता	30,32,084	
16. वि.अ.आ. जे.आर.एफ. अध्येतावृत्ति खाता	53,42,889	
17. वि.अ.आ. राजीव गाँधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति खाता	4,20,62,079	
ईएमएफ खाता		8,30,48,977
18. पीयूआरएसई खाता	59,28,439	
19. प्रायोजित अध्येतावृत्ति खाता	95,44,626	
20. प्रायोजित अध्येतावृत्ति (भारतीय) खाता	5,00,01,000	
21. प्रायोजित परियोजना खाता	1,75,74,912	
अनुरक्षण निधि खाता		20,97,40,369
22. गोमती अतिथि गृह खाता	31,43,050	
23. सेवानिवृत्ति निधि खाता	4,00,56,808	
24. छात्रवृत्ति खाता	25,76,261	
25. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुरक्षण खाता	5,40,36,006	
26. विश्वविद्यालय प्राप्तिखाता	9,45,41,667	
27. पेंशन निधि चालू खाता	1,53,86,577	
योग		1,38,06,26,884
II. अनुसूचित बैंकों में मियादी जमा		70,17,25,654
योग		2,08,23,52,538

रा.प्रो.व्हा.
अनुभाग अधिकारी (लेखा)

रा.प्रो.व्हा.
उप वित्त अधिकारी

वित्त अधिकारी

31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय और व्यय
लेखा के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

अनुसूची-8 : अनुदान/आर्थिक सहायता (निर्गम अनुदान और प्राप्त आर्थिक सहायता)

राशि रुपयों में

विवरण	योजनागत			कुल योजनागत	योजनेत्तर वि.अ.आ.	चालू वर्ष योग	पूर्व वर्ष योग
	भारत सरकार	वि.अ.आ.	आईडीएफ				
शेष अग्रानीत -	1,21,36,981	55,84,95,107	45,51,11,811	1,02,57,43,899	9,85,94,000	1,12,43,37,899	1,08,77,45,164
जमा - वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	1,66,87,392	57,75,25,383	20,00,00,000	79,42,12,775	1,63,61,44,000	2,43,03,56,775	2,81,85,40,025
योग	2,88,24,373	1,13,60,20,490	65,51,11,811	1,81,99,56,674	1,73,47,38,000	3,55,46,94,674	3,90,62,85,189
घटा - वि.अ.आ. को वापसी	3,15,967	34,45,151	-	37,61,118	-	37,61,118	6,59,564
शेष	2,85,08,406	1,13,25,75,339	65,51,11,811	1,81,61,95,556	1,73,47,38,000	3,55,09,33,556	3,90,56,25,625
घटा - पूंजीगत व्यय हेतु प्रयुक्त (क)	95,82,771	30,95,59,605	15,95,88,504	47,87,30,880	1,60,11,230	49,47,42,110	69,04,87,177
शेष	1,89,25,635	82,30,15,734	49,55,23,307	1,33,74,64,676	1,77,87,26,770	3,05,61,91,446	3,21,51,38,448
घटा - राजस्व व्यय हेतु प्रयुक्त (ख)	31,24,399	16,62,39,454	11,96,02,048	28,89,65,901	1,60,93,44,770	1,89,83,10,671	2,09,08,00,550
शेष अग्रानीत (ग)	1,58,01,236	65,67,76,280	37,59,21,259	1,04,84,98,775	#10,93,82,000	1,15,78,80,775	1,12,43,37,899

(क) वर्ष के दौरान पूंजीगत निधि में परिवर्धन के साथ-साथ स्थायी परिसम्पत्तियों में परिवर्धन के रूप में दर्शाया गया।


(ख) आय और व्यय खाते में आय के रूप में दर्शाया गया।

(ग) (i) तुलन-पत्र में वर्तमान देयताओं में दर्शाया गया और यह अगले वर्ष अथ शेष बन जाएगा।

(ii) परिसम्पत्तियों के स्तम्भ में बैंक शेष, निवेश और अग्रिम द्वारा दर्शाया गया।

टिप्पणी : # वर्ष 2010-2011 में वि.अ.आ. द्वारा मंजूर रु. 10,93,82,000 का अप्रयुक्त योजनेत्तर अनुदान वर्ष 2011-12 के लिए अग्रिम योजनेत्तर अनुदान को दर्शाता है।


अनुभाग अधिकारी (लेखा)


उप वित्त अधिकारी


वित्त अधिकारी


अनुसूची-9 : शैक्षिक प्राप्तियाँ

राशि रुपयों में

विवरण	चालू वर्ष 2010-2011	पूर्व वर्ष 2009-2010
क. छात्रों से शुल्क		
क) शैक्षिक		
1. प्रवेश शुल्क	—	—
2. नामांकन शुल्क		
i शिक्षण शुल्क	1,45,13,259	1,63,78,652
ii पुस्तकालय शुल्क	78,771	94,890
iii अन्य	—	—
ख) परीक्षा		
1. वार्षिक परीक्षा शुल्क	—	—
2. अंक तालिका शुल्क	35,135	30,940
3. अन्य-पंजीकरण शुल्क, ऊपरी खर्च	—	—
ग) अन्य शुल्क		
1. चिकित्सा शुल्क	28,495	4,333
2. दीक्षान्त समारोह शुल्क	—	—
3. अन्य विविध शुल्क	1,45,387	2,48,812
ख. छात्रावास शुल्क	10,53,541	9,14,280
ग. प्रवेश फार्मों की बिक्री	1,76,66,108	1,43,82,392
घ. प्रश्न-पत्रों की बिक्री	23,690	81,000
ङ. अन्य शैक्षिक प्राप्तियाँ		
1. कार्यशाला के लिए पंजीकरण शुल्क	—	37,000
2. पंजीकरण शुल्क (अकादमिक स्टाफ कालेज)	2,52,500	2,99,610
योग	3,37,96,886	3,24,71,909


अनुभाग अधिकारी (लेखा)


उप वित्त अधिकारी


वित्त अधिकारी

अनुसूची-10 : निवेशों से आय

राशि रुपयों में

विवरण	उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधियाँ		योजनागत/योजनेत्तर	
	चालू वर्ष 2010-2011	पूर्व वर्ष 2009-2010	चालू वर्ष 2010-2011	पूर्व वर्ष 2009-2010
1. ब्याज				
क. सरकारी प्रतिभूतियों पर	—	—	—	—
ख. डिबेंचर और बॉण्ड पर	48,34,597	50,19,484	—	—
2. अनुसूचित बैंकों में मियादी जमा पर	3,11,10,963	2,23,47,211	1,47,34,889	2,55,98,510
3. अग्रिमों पर (गृह निर्माण अग्रिम और मोटरकार अग्रिम) (प्रोद्भूत)	34,23,925	48,99,894	—	—
4. अनुसूचित बैंकों में बचत खातों पर	56,10,723	53,97,067	—	—
योग	4,49,80,208	3,76,63,656	1,47,34,889	2,55,98,510
संबंधित उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधि में अंतरण	4,49,80,208	3,76,63,656		
शेष	कोई नहीं	कोई नहीं		

रा.भा.एन

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

शंकर प्रसाद

उप वित्त अधिकारी

Ganesh
वित्त अधिकारी


अनुसूची-11 : रॉयल्टी, प्रकाशनों आदि से आय

राशि रुपयों में

विवरण	चालू वर्ष 2010-11	पूर्व वर्ष 2009-10
1. रॉयल्टी से आय	1,85,705	4,23,752
2. प्रकाशनों की बिक्री से आय	—	—
3. अन्य (ब्यौरा दें)	—	—
योग	1,85,705	4,23,752



अनुभाग अधिकारी (लेखा)



उप वित्त अधिकारी




वित्त अधिकारी


अनुसूची-12 : अर्जित ब्याज

राशि रुपयों में

विवरण	चालू वर्ष 2010-11	पूर्व वर्ष 2009-10
1. अनुसूचित बैंकों में बचत खातों पर	1,94,27,078	68,11,140
2. ऋण पर		
क. कर्मचारियों/स्टाफ	—	—
ख. अन्य	—	—
3. देनदारों और अन्य प्राप्यों पर	—	—
योग	1,94,27,078	68,11,140


अनुभाग अधिकारी (लेखा)


उप वित्त अधिकारी



वित्त अधिकारी

अनुसूची-13 : अन्य आय

राशि रूपयों में

विवरण	चालू वर्ष 2010-11	पूर्व वर्ष 2009-10
1) मकानों से लाइसेंस शुल्क	24,62,318	23,65,109
2) अतिथि गृह से किराया	44,13,162	29,74,101
3) दुकानों, डाकघर, बैंक आदि से किराया	95,86,973	57,97,696
4) छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान	35,04,868	4,36,565
5) प्रायोजित योजनाओं से आय	—	—
6) वाहनों के उपयोग के लिए प्रभार	3,500	4,200
7) जल और विद्युत प्रभार	1,82,60,348	1,20,73,648
8) परिसम्पत्तियों की बिक्री/निपटान	4,90,771	6,72,918
9) के.स.स्वा.यो. वसूलियाँ	87,84,014	60,37,958
10) विविध आय (अनुपयोगी/खाली पड़े भंडारों, रद्दी कागज, निविदा कागज, प्रवेश पुस्तिका की बिक्री की कार्यवाही, जुर्माना और दण्ड, अन्य विविध आय)	3,69,45,020	34,52,912
योग	8,44,50,974	3,38,15,107


अनुभाग अधिकारी (लेखा)


उप वित्त अधिकारी


वित्त अधिकारी

अनुसूची-14 : पूर्व अवधि की आय

राशि रुपयों में

विवरण	चालू वर्ष 2010-11	पूर्व वर्ष 2009-10
पूर्व अवधि की आय	1,00,000	12,49,802
योग	1,00,000	12,49,802

रा.प्रो.एन

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

शंकर धर

उप वित्त अधिकारी

वित्त अधिकारी

अनुसूची-15 : स्थापना व्यय

राशि रुपयों में


विवरण	चालू वर्ष 2010-11			पूर्व वर्ष 2009-10		
	योजनागत	योजनेत्तर	योग	योजनागत	योजनेत्तर	योग
क. वेतन, मजदूरी और भत्ते	1,12,10,452	89,82,99,116	90,95,09,568	76,29,130	1,02,07,21,275	1,02,83,50,405
ख. भविष्य निधि में अंशदान	—	60,27,552	60,27,552	—	1,19,52,294	1,19,52,294
ग. अन्य निधियों में अंशदान (नई पेंशन योजना)	—	3,99,814	3,99,814	—	4,14,540	4,14,540
घ. बोनस	—	40,14,426	40,14,426	13,816	42,35,920	42,49,736
ङ. छुट्टी यात्रा रियायत	—	1,23,24,797	1,23,24,797	—	79,43,959	79,43,959
च. चिकित्सा प्रतिपूर्ति	—	1,95,98,237	1,95,98,237	—	1,68,79,353	1,68,79,353
छ. स्टाफ कल्याणकारी व्यय	1,74,664	1,63,42,993	1,65,17,657	10,130	1,40,24,815	1,40,34,945
ज. कर्मचारी सेवानिवृत्ति और सेवांत हितलाभ (पेंशन, उपदान, छुट्टी नकदीकरण)	—	91,33,69,405	91,33,69,405	—	58,21,41,815	58,21,41,815
झ. शुल्क और मानदेय	3,49,854	93,95,274	97,45,128	3,70,624	66,60,143	70,30,767
ञ. छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान	—	3,38,275	3,38,275	—	12,29,650	12,29,650
ट. अन्य	—	—	—	—	—	—
कुल योग	1,17,34,970	1,88,01,09,889	1,89,18,44,859	80,23,700	1,66,62,03,764	1,67,42,27,464

ए.भी.एन

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

शंकर धर

उप वित्त अधिकारी



वित्त अधिकारी

अनुसूची-15'क' : कर्मचारी सेवानिवृत्ति और सेवांत हितलाभ

राशि रुपये में

क.	पेंशन	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	कुल
अथ शेष	2,62,12,29,000	51,70,14,218	31,86,19,430	3,45,68,62,648
जमा : अन्य संगठनों से प्राप्त अंशदान का पूंजीगत मूल्य	1,94,23,610	34,01,435	3,54,877	2,31,79,922
योग	2,64,06,52,610	52,04,15,653	31,89,74,307	3,48,00,42,570
घटा : वर्ष 2010-11 के दौरान वास्तविक भुगतान	17,81,78,294	4,22,00,045	2,45,53,998	24,49,32,337
31.3.2011 को उपलब्ध शेष	2,46,24,74,316	47,82,15,608	29,44,20,309	3,23,51,10,233
वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार 31.3.2011 को अपेक्षित प्रावधान	3,28,66,78,000	50,60,93,310	33,64,48,765	4,12,92,20,075
2010-11 में होने वाले प्रावधान	82,42,03,684	2,78,77,702	4,20,28,456	89,41,09,842
ख. नई पेंशन योजना में अंशदान				1,19,04,772
ग. सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति				67,09,261
घ. सेवानिवृत्ति पर गृह-नगर के लिए यात्रा				5,81,963
च. जमा लिंक बीमा भुगतान				63,567
योग (क+ख+ग+घ+च)				91,33,69,405


अनुभाग अधिकारी (लेखा)


उप वित्त अधिकारी



वित्त अधिकारी

अनुसूची-16 : शैक्षिक व्यय

राशि रुपयों में

विवरण	चालू वर्ष 2010-11			पूर्व वर्ष 2009-10		
	योजनागत	योजनेत्तर	योग	योजनागत	योजनेत्तर	योग
1. प्रयोगशाला प्रचालन व्यय	2,33,55,833	15,60,362	2,49,16,195	3,18,45,963	67,45,512	3,85,91,475
2. फील्डवर्क/सम्मेलनों में प्रतिभागिता	1,77,98,863	21,98,851	1,99,97,714	1,34,86,230	25,17,543	1,60,03,773
3. शिक्षण सहायता	2,98,110	7,21,382	10,19,492	4,82,381	10,52,747	15,35,128
4. संगोष्ठियाँ/कार्यशालाएँ	1,19,29,945	51,966	1,19,81,911	1,16,89,000	4,35,116	1,21,24,116
5. अतिथि शिक्षकों को भुगतान	16,96,422	6,83,433	23,79,855	29,40,213	11,350	29,51,563
6. शोध गतिविधियाँ	10,46,073	8,75,851	19,21,924	16,00,506	10,62,050	26,62,556
7. परीक्षा व्यय	56,12,999	67,95,876	1,24,08,875	42,55,711	2,03,45,029	2,46,00,740
8. छात्र कल्याणकारी व्यय	51,83,662	96,39,050	1,48,22,712	9,20,653	1,16,57,662	1,25,78,315
9. छात्रों को छात्रवृत्तियाँ/वजीफा	8,38,42,626	2,01,31,242	10,39,73,868	7,64,80,428	1,77,49,532	9,42,29,960
10. पत्रिकाएं और प्रकाशन	2,68,67,110	80,05,823	3,48,72,933	1,28,80,276	17,63,986	1,46,44,262
11. विविध शैक्षिक व्यय	35,35,097	10,54,747	45,89,844	18,51,512	18,99,742	37,51,254
कुल योग	18,11,66,740	5,17,18,583	23,28,85,323	15,84,32,873	6,52,40,269	22,36,73,142


रा.मोहन
अनुभाग अधिकारी (लेखा)


शंकर
उप वित्त अधिकारी


वित्त अधिकारी

अनुसूची-17 : प्रशासनिक व्यय

राशि रुपयों में

विवरण	चालू वर्ष 2010-2011			पूर्व वर्ष 2009-2010		
	योजनागत	योजनेत्तर	योग	योजनागत	योजनेत्तर	योग
क. संरचनागत						
i) किराया, दरें और कर	—	7,16,13,362	7,16,13,362	—	24,60,08,269	24,60,08,269
ii) विद्युत व्यय	2,97,00,000	7,01,38,224	9,98,38,224	5,69,06,151	2,74,31,449	8,43,37,600
iii) जल व्यय	2,02,00,000	5,36,95,591	7,38,95,591	60,33,473	2,70,12,792	3,30,46,265
iv) सुरक्षा व्यय	—	3,36,65,303	3,36,65,303	—	1,38,62,627	1,38,62,627
v) वाहन परिचालन व्यय	1,14,543	8,62,317	9,76,860	—	2,14,240	2,14,240
vi) बीमा	—	49,939	49,939	—	—	—
vii) जनरेटर परिचालन व्यय	3,61,665	9,30,382	12,92,047	—	7,78,396	7,78,396
ख. संचार						
i) डाक और तार	7,84,603	17,19,901	25,04,504	26,786	20,01,256	20,28,042
ii) टेलीफोन और फैक्स	14,88,242	37,78,918	52,67,160	22,185	70,23,988	70,46,173
iii) इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रभार	1,09,117	88,982	1,98,099	79,62,294	—	79,62,294
ग. शैक्षिक संस्थाओं को अभिदान	63,321	3,69,794	4,33,115	4,69,010	2,77,705	7,46,715
घ. सलाहकार समितियों आदि के सदस्यों को यात्रा भत्ता	2,44,236	14,14,493	16,58,729	6,26,328	19,80,673	26,07,001
च. विज्ञापन और प्रचार	1,36,339	4,24,709	5,61,048	49,623	12,87,512	13,37,135
छ. विधिक व्यय	—	6,77,633	6,77,633	3,56,425	12,49,002	16,05,427
ज. अन्य						
i) छपाई और लेखन सामग्री (उपयोग)	19,82,904	42,78,580	62,61,484	16,10,452	41,82,078	57,92,530
ii) पत्र और पत्रिकाएं	52,005	6,12,799	6,64,804	15,292	1,64,510	1,79,802
iii) आतिथ्य व्यय	4,59,689	14,28,608	18,88,297	2,34,265	17,52,365	19,86,630
iv) बैंक प्रभार	—	—	—	3,277	—	3,277
v) उम्मीदवारों को यात्रा भत्ता	—	49,004	49,004	—	54,154	54,154
vi) श्रम प्रभार, दैनिक मजदूरी और अनुबंध श्रम	1,29,76,234	5,06,26,276	6,36,02,510	10,49,311	4,78,24,890	4,88,74,201
vii) स्थानीय यात्रा भत्ता	68,015	9,13,562	9,81,577	57,311	7,67,164	8,24,475
xiii) सफाई व्यय	9,50,140	22,31,994	31,82,134	—	6,38,265	6,38,265
ix) वर्दियां	—	19,39,308	19,39,308	—	17,16,429	17,16,429
x) फोटो कॉपी प्रभार	3,12,636	4,99,967	8,12,603	2,77,026	5,14,067	7,91,093
xi) अन्य विविध प्रशासनिक व्यय	3,29,805	15,28,404	18,58,209	4,95,663	26,89,242	31,84,905
कुल योग	7,03,33,494	30,35,38,050	37,38,71,544	7,61,94,872	38,94,31,073	46,56,25,945

रा.भा.एन

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

शंकर शर्मा

उप वित्त अधिकारी

वित्त अधिकारी

अनुसूची-18 : मरम्मत और अनुरक्षण

राशि रूपयों में

विवरण	चालू वर्ष 2010-2011			पूर्व वर्ष 2009-10		
	योजनागत	योजनेत्तर	योग	योजनागत	योजनेत्तर	योग
क. सफाई सामग्री और सेवाएं	16,331	10,46,765	10,63,096	10,137	13,68,775	13,78,912
ख. बागवानी	6,605	13,58,934	13,65,539	55,562	12,65,123	13,20,685
ग. भवनों का अनुरक्षण	90,72,724	57,69,692	1,48,42,416	80,99,864	1,08,08,089	1,89,07,953
घ. सम्पदा का अनुरक्षण	57,896	32,85,444	33,43,340	4,75,589	1,35,25,024	1,40,00,613
च. कार्यालय उपकरणों का अनुरक्षण	11,87,502	33,25,661	45,13,163	1,58,671	17,67,846	19,26,517
छ. कंप्यूटरों का अनुरक्षण	47,79,039	22,65,672	70,44,711	14,13,062	42,99,902	57,12,964
ज. वाहनों का अनुरक्षण	380	12,37,159	12,37,539	—	16,69,416	16,69,416
झ. फर्नीचर और फिक्सचर्स का अनुरक्षण	2,01,084	2,23,770	4,24,854	38,036	3,17,440	3,55,476
ट. प्रयोगशाला उपकरणों का अनुरक्षण	61,70,180	7,87,351	69,57,531	9,74,907	1,81,585	11,56,492
ड. पुस्तक जिल्दसाजी प्रभार	1,07,673	2,51,236	3,58,909	10,084	2,62,752	2,72,836
ठ. विविध	—	—	—	—	—	—
कुल योग	2,15,99,414	1,95,51,684	4,11,51,098	1,12,35,912	3,54,65,952	4,67,01,864


अनुभाग अधिकारी (लेखा)


उप वित्त अधिकारी


वित्त अधिकारी

अनुसूची-19 : पूर्व अवधि के व्यय

राशि रुपयों में

विवरण	चालू वर्ष 2010-11			पूर्व वर्ष 2009-10		
	योजनागत	योजनेत्तर	योग	योजनागत	योजनेत्तर	योग
1. स्थापना व्यय	1,11,694	69,788	1,81,482	10,78,144	22,560	11,00,704
2. शैक्षिक व्यय	26,65,636	—	26,65,636	3,04,675	—	3,04,675
3. प्रशासनिक व्यय	2,51,135	79,66,277	82,17,412	14,338	55,85,449	55,99,787
4. मरम्मत और अनुरक्षण व्यय	11,02,818	3,84,221	14,87,039	1,71,135	1,87,206	3,58,341
5. विविध	—	—	—	—	—	—
योग	41,31,283	84,20,286	1,25,51,569	15,68,292	57,95,215	73,63,507


अनुभाग अधिकारी (लेखा)


उप वित्त अधिकारी


वित्त अधिकारी

31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के
लेखाओं के भाग के रूप में
अनुसूचियाँ



अनुसूची : 20

विशिष्ट लेखांकन नीतियाँ

1. लेखाओं को तैयार करने का आधार

ये खाते, जब तक कुछ कहा न जाए, वास्तविक लागत परिपाटी के अन्तर्गत तैयार किए जाते हैं, और सामान्यतः प्रोद्भूत लेखांकन पद्धति पर आधारित हैं।

2. राजस्व पहचान

2.1 छात्रों से प्राप्त फीस, (ट्यूशन फीस के अतिरिक्त) प्रवेश फार्मों की बिक्री, रॉयलिटी और बचत खाता पर ब्याज का लेखा नकद आधार पर रखा जाता है। प्रत्येक सत्र में छात्रों से प्राप्त की गई ट्यूशन फीस का लेखा प्रोद्भूत आधार पर रखा जाता है।

2.2 भूमि, भवन और अन्य सम्पत्ति पर आय तथा निवेशों (वृत्तिदान निधियों को छोड़कर) पर ब्याज का लेखांकन प्रोद्भूत आधार पर किया जाता है। अधिकतर व्यक्तिगत वृत्तिदान निधियों के लिए निवेश कम होता है तथा इसके अलावा, प्रोद्भूत ब्याज के साथ आय को दर्शाने पर उस सही राशि का पता नहीं चलता जो निधि विशेष के अन्तर्गत उन उद्देश्यों पर खर्च करने हेतु वास्तविक रूप में उपलब्ध है।

2.3 स्टाफ सदस्यों को ब्याज पर दिए जाने वाले अग्रिमों जैसे गृह निर्माण अग्रिम, वाहन तथा कंप्यूटर खरीदने के लिए अग्रिम पर ब्याज की गणना प्रत्येक वर्ष प्रोद्भूत आधार पर की जाती है, यद्यपि ब्याज की वास्तविक वसूली मूलधन के पूर्ण भुगतान के बाद शुरू की जाती है।

3. स्थायी परिसम्पत्तियाँ और मूल्यहास

3.1 स्थायी सम्पत्तियों को अधिग्रहण लागत के साथ आवक-भाड़ा, शुल्क और कर तथा परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण, स्थापना तथा कमीशन से संबंधित प्रासंगिक व प्रत्यक्ष खर्च शामिल करके बताया जाता है।

3.2 उपहार/दान के रूप में प्राप्त परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन, घोषित मूल्य, जहां कहीं उपलब्ध हो, पर किया जाता है; यदि यह मूल्य उपलब्ध न हो तो परिसम्पत्ति के मूल्य का अनुमान वर्तमान बाजार मूल्य और उसकी वास्तविक दशा के आधार पर लगाया जाता है। इन परिसम्पत्तियों को पूँजी निधि में क्रेडिट करते हुए विश्वविद्यालय की स्थायी परिसम्पत्तियों में मिला दिया जाता है। संबंधित परिसम्पत्तियों पर लागू दरों से मूल्यहास प्रभारित किया जाता है।

3.3 उपहार के रूप में प्राप्त पुस्तकों का मूल्यांकन उन पर अंकित विक्रय-मूल्य के आधार पर किया जाता है। जहां मूल्य अंकित नहीं है, वहाँ मूल्यांकन के आधार पर मूल्य का निर्धारण किया जाता है।

- 3.4 इलेक्ट्रॉनिक जर्नलों (ई-जर्नल) को आन-लाइन एक्सेस से प्राप्त सीमित लाभों के आधार पर पुस्तकालय-पुस्तकों से अलग किया गया है। यद्यपि, ई-जर्नलों का कोई मूर्त आकार नहीं होता, अतः इनका पूंजीकरण इस पर हुए खर्च और शैक्षिक एवं शोध स्टाफ द्वारा निरन्तर अर्जित ज्ञान के संदर्भ में प्राप्त लाभों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। पुस्तकालय-पुस्तकों के सम्बन्ध में उपलब्ध 10% मूल्यहास दर के बदले ई-जर्नलों के सम्बन्ध में 40% मूल्यहास दर उपलब्ध करायी जाती है।
- 3.5 साफ्टवेयर प्राप्त करने के लिए किए गए खर्च को कंप्यूटरों और पेरिफेरिल से अलग कर लिया गया है, क्योंकि ये अमूर्त रूप में होने के अतिरिक्त जल्दी ही अप्रचलित हो जाते हैं। कंप्यूटर और पेरिफेरिल के लिए उपलब्ध मूल्यहास की 20% दर की अपेक्षा साफ्टवेयर के लिए मूल्यहास की दर 40% उपलब्ध कराई जाती है।
- 3.6 स्थायी परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन, उनकी लागत में से संचित मूल्यहास कम करके किया जाता है। स्थायी परिसम्पत्तियों पर मूल्यहास की दर सरलरेखा पद्धति के आधार पर निम्नलिखित दरों पर उपलब्ध कराई जाती हैं :

1.	भूमि	0%
2.	स्थल विकास	0%
3.	भवन	2%
4.	सड़कें और सेतु	2%
5.	नलकूप और पानी की आपूर्ति	2%
6.	सीवर और जल निकासी	2%
7.	विद्युत व्यवस्था तथा उपकरण	5%
8.	प्लांट और मशीन	5%
9.	वैज्ञानिक और प्रयोगशाला उपकरण	8%
10.	कार्यालय उपस्कर	7.5%
11.	दृश्य-श्रव्य उपकरण	7.5%
12.	कंप्यूटर और पेरिफेरिल	20%
13.	फर्नीचर, फिक्सचर्स और फिटिंग	7.5%
14.	वाहन	10%
15.	पुस्तकालय पुस्तकें और वैज्ञानिक पत्रिकाएं	10%
16.	ई-जर्नल	40%
17.	कंप्यूटर साफ्टवेयर	40%
18.	अन्य	10%

- 3.7 वर्ष के दौरान हुए परिवर्धनों पर पूरे वर्ष के लिए मूल्यहास उपलब्ध कराया जाता है।

- 3.8 जहां किसी परिसम्पत्ति का पूर्ण मूल्यहास हो जाता है तो उस परिसम्पत्ति को तुलन-पत्र में रु 1 के अवशिष्ट मूल्य पर लाया जाता है और इस पर आगे मूल्यहास नहीं होगा। इसके बाद, मूल्यहास की गणना उस परिसम्पत्ति शीर्ष पर लागू मूल्यहास की दर से प्रत्येक वर्ष के परिवर्धनों पर प्रथक रूप से की जाती है।
- 3.9 उद्दिष्ट निधि और प्रायोजित परियोजनाओं की निधि में से सृजित की गई परिसम्पत्तियाँ, जहां इन परिसम्पत्तियों का मालिकाना हक विश्वविद्यालय से जुड़ा होता है, को पूंजी निधि में क्रेडिट करते हुए और विश्वविद्यालय की स्थायी परिसम्पत्तियों में मिला दिया जाता है। सम्बन्धित परिसम्पत्तियों पर लागू दर से मूल्यहास प्रभारित किया जाता है। प्रायोजित परियोजना निधियों में से सृजित की गई उन परिसम्पत्तियों, जिनका मालिकाना हक प्रायोजक के पास सुरक्षित रहता है, लेकिन परिसम्पत्तियाँ विश्वविद्यालय के पास रहती हैं और वह इनका उपयोग करता है, का विवरण लेखाओं पर टिप्पणियों में अलग से दिया जाता है।
- 3.10 ऐसी परिसम्पत्तियाँ जिनका प्रत्येक का पृथक मूल्य रु. 2000 या इससे कम है, इनको 1.4.2010 से लघु मूल्य की परिसम्पत्तियाँ माना जाता है। इस प्रकार की परिसम्पत्तियों के अर्जन के समय इन पर 100 प्रतिशत मूल्य हास उपलब्ध कराया जाता है। फिर भी इस प्रकार की परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष लेखांकन और नियंत्रण धारक द्वारा जारी रहता है।
4. **स्टाक** : रसायनों, ग्लासवेयर, प्रकाशनों और अन्य स्टोर की खरीद पर खर्च राशि की गणना राजस्व खर्च के रूप में की जाती है। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च को संस्थानों और विभागों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर तदनुरूप राजस्व खर्च को कम करते हुए वस्तु सूची के रूप में अंतिम स्टाक की कीमत निर्धारित की जाती है।
5. **सेवानिवृत्ति लाभ**
सेवानिवृत्ति लाभ यानी पेंशन, उपदान और छुट्टी-नकदीकरण, बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध कराए जाते हैं। जिस कर्मचारी का विश्वविद्यालय में आमेलन हो जाता है उस कर्मचारी के पूर्व नियोक्ता से प्राप्त पेंशन और उपदान के पूंजीकृत मूल्य को सम्बन्धित प्रावधान खातों में क्रेडिट कर दिया जाता है। प्रतिनियुक्ति पर जेएनयू कर्मचारियों के पेंशन अंशदान को भी पेंशन खाता के लिए प्रावधान में क्रेडिट कर दिया जाता है। अन्य सेवानिवृत्ति लाभ जैसे – जमा से जुड़ी बीमा योजना, नई पेंशन योजना हेतु अंशदान, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति और सेवानिवृत्ति के समय गृह नगर के लिए यात्रा का लेखा-जोखा प्रोदभूत आधार पर रखा जाता है (वर्ष की समाप्ति पर वास्तविक भुगतान व बकाया बिल)।
6. **निवेश**
- 6.1 दीर्घ अवधि के निवेश उनकी लागत अथवा अंकित मूल्य जो भी कम हों पर किए जाते हैं। फिर भी, तुलन-पत्र की तिथि के अनुसार उनके मूल्य में हुई स्थायी कमी को दर्शाया जाता है।
- 6.2 लघु अवधि के निवेश उनकी लागत अथवा बाजार मूल्य (यदि उद्धृत हों) जो भी कम हों पर किए जाते हैं।

7. कार्पस निधि की स्थापना वर्ष 1996-97 में हुई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से समान अंशदान, महाविद्यालयों और अन्य शैक्षिक संस्थानों से प्राप्त मान्यता/सम्बद्धता शुल्क, परामर्श शुल्क में विश्वविद्यालय का हिस्सा और शोध परियोजनाओं से अंशदान को कार्पस निधि के परिवर्धनों के रूप में माना जाता है।

निधि के निवेश से प्राप्त आय को निधि में जोड़ दिया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और विश्वविद्यालय की कार्य परिषद द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शी नियमों के आधार पर कार्पस निधि का उपयोग राजस्व और पूंजीगत दोनों खर्चों के लिए किया जाता है। कार्पस निधि में से सृजित परिसम्पत्तियों को पूंजीगत निधि में समान राशि को क्रेडिट करते हुए विश्वविद्यालय की परिसम्पत्तियों में मिला दिया जाता है। कार्पस निधि में से अग्रेनीत किए गए शेष को अलग बैंक खाते में शेष, आर.बी.आई. बॉण्ड्स और बैंक में आवधिक जमा के रूप में निवेश और निवेशों (वर्तमान परिसम्पत्तियों) पर प्रोद्भूत ब्याज के द्वारा दर्शाया जाता है।

8. निम्नलिखित दीर्घकालिक निधियों को विशेष उद्देश्यों के लिए उद्दिष्ट किया जाता है। प्रत्येक निधि का अलग से बैंक खाता होता है। जिन खातों में अत्याधिक शेष होते हैं उन्हें सरकारी प्रतिभूतियों, डिबेंचरों और बांड तथा बैंक में सावधिक जमा के रूप में निवेश कर दिया जाता है। निवेशों/अग्रिमों (गृह निर्माण और वाहन अग्रिम) से प्रोद्भूत आधार पर प्राप्त आय और बचत बैंक खातों पर ब्याज की राशि को सम्बन्धित निधियों में क्रेडिट कर दिया जाता है। खर्च एवं अग्रिमों (गृह निर्माण और वाहन अग्रिम निधियों के मामले में) को निधि में डेबिट कर दिया जाता है। उद्दिष्ट निधियों में से सृजित परिसम्पत्तियों (जैसे एक्जिम बैंक पुस्तकालय – भवन और पुस्तकें) को पूंजीगत निधि में समान राशि को क्रेडिट करते हुए विश्वविद्यालय की परिसम्पत्तियों में मिला दिया जाता है। संबंधित निधियों में शेष को अग्रेनीत कर दिया जाता है और परिसम्पत्तियों के स्तम्भ में बैंक में शेष, निवेश और प्रोद्भूत ब्याज (वर्तमान परिसम्पत्तियों) के द्वारा दर्शाया जाता है।

8.1 शैक्षिक विकास निधि

यह निधि 1 फरवरी 2006 में स्थापित की गई थी। प्रवेश फार्मों, प्रश्न-पत्रों की बिक्री और जेएनयू प्रवेश परीक्षा शुल्क से प्राप्त आय को इस तिथि से इस निधि में क्रेडिट किया गया है। इस निधि का उपयोग कुछ प्रवेश परीक्षा खर्चों के अतिरिक्त समय-समय पर कार्य परिषद द्वारा निर्धारित कुछ नवप्रवर्तनकारी कार्यक्रमों, शोध कार्यों और अन्य विकासात्मक गतिविधियों के लिए किया जाता है।

8.2 गृह निर्माण अग्रिम निधि

यह निधि गृह निर्माण के लिए अधिकारियों और स्टाफ सदस्यों को ब्याज पर दिए जाने वाले अग्रिमों के लिए एक परिक्रामी निधि है।

8.3 निष्पान फाउंडेशन निधि

निष्पान फाउंडेशन द्वारा यू.एस. डालर में उपलब्ध कराई गई निधि का निवेश भारतीय स्टेट बैंक, बहरीन में आवधिक जमा के रूप में दो भागों में किया गया है। पहले भाग से प्राप्त ब्याज को उस भाग में जोड़ कर पुनर्निवेश कर दिया जाता है। दूसरे भाग से प्राप्त ब्याज को

भारतीय स्टेट बैंक जेएनयू ब्रांच में पृथक बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है और इसका उपयोग सामाजिक विज्ञान और मानविकी क्षेत्रों के मेधावी छात्रों को अध्येतावृत्तियाँ प्रदान करने के लिए किया जाता है।

8.4 वि.अ.आ.-क.शो.अ. निधि

यह निधि कनिष्ठ/वरिष्ठ शोधार्थियों को अध्येतावृत्ति प्रदान करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उपलब्ध करायी जाती है।

8.5 वाहन निधि

यह निधि कार, स्कूटर और कंप्यूटर की खरीद के लिए अधिकारियों और स्टाफ सदस्यों को ब्याज पर दिए जाने वाले अग्रिमों के लिए एक परिक्रामी निधि है।

8.6 एग्जिम बैंक पुस्तकालय निधि

यह निधि एग्जिम बैंक द्वारा इसके नाम पर पुस्तकालय का निर्माण करने और पुस्तकालय के लिए पुस्तकों और वैज्ञानिक पत्रिकाओं की खरीद के लिए उपलब्ध करायी गई है।

8.7 अनुप्रयुक्त मानव आनुवंशिकी केंद्र निधि

यह निधि मानव जिनोमिक्स और सम्बद्ध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण शोध कार्यक्रम चलाने और राष्ट्रीय स्तर पर संबंध व हिस्सेदारी स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गई है।

8.8 राजीव गाँधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति निधि

यह निधि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय के अनुसूचित जाति/जन-जाति के छात्रों को अध्येतावृत्ति प्रदान करने के लिए उपलब्ध करायी जाती है।

8.9 वृत्तिदान निधियाँ

वृत्तिदान ऐसी निधियाँ हैं जो दाताओं द्वारा निर्धारित शर्तों के आधार पर चेयर स्थापित करने, मैडल और पुरस्कार प्रदान करने के लिए विभिन्न व्यक्तिगत दाताओं, न्यासों और अन्य संगठनों से प्राप्त होती हैं। प्रत्येक वृत्तिदान निधि का अपना अलग से निवेश होता है, सभी वृत्तिदान निधियों के लिए एक ही बचत बैंक खाता होता है, क्योंकि इनके अनिवेशित शेष नगण्य होते हैं।

प्रत्येक वृत्तिदान निधि के निवेश से प्राप्त आय को निधि में जोड़ दिया जाता है। बचत बैंक खाता पर प्राप्त ब्याज को सभी वृत्तिदान निधियों में वर्ष के अन्त में प्रत्येक निधि के अन्त शेष के अनुपात के अनुसार बांट दिया जाता है। चेयर, पदक और पुरस्कारों पर खर्च

राशि को सम्बन्धित वृत्तिदान निधियों में डेबिट कर दिया जाता है और शेष को अग्रेनीत कर दिया जाता है। शेष को आर.बी.आई. बॉण्ड और आवधिक जमा में निवेश और सभी वृत्तिदानों के लिए समान बचत बैंक खाता में कुल शेष के द्वारा दर्शाया जाता है।

9. सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अनुदान

- 9.1 सरकारी अनुदानों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदानों का लेखा नकदीकरण के आधार पर बनाया जाता है। फिर भी, जहाँ किसी वित्तीय वर्ष से संबंधित अनुदान को जारी करने के लिए मंजूरी 31 मार्च से पहले प्राप्त होती है और अनुदान वास्तव में अगले वित्तीय वर्ष में प्राप्त होता है तो इस अनुदान की गणना प्रोद्भूत आधार पर की जाती है तथा एक समान राशि अनुदानकर्ता से वसूलनीय के रूप में दर्शायी जाती है।
- 9.2 पूंजीगत खर्चों के लिए उपयोग की गई सरकारी अनुदान राशि (प्रोद्भूत आधार पर) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुदान राशि को पूंजीगत निधि में स्थानान्तरित कर दिया जाता है।
- 9.3 राजस्व खर्च के लिए सरकारी और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुदान राशि (प्रोद्भूत आधार पर), जहाँ तक उपयोग किया गया है, को उस वर्ष की आय के रूप में माना जाता है, जिस वर्ष में अनुदान का नकदीकरण हुआ है।
- 9.4 अप्रयुक्त अनुदानों (इन अनुदानों में से दिए गए अग्रिमों सहित) को अग्रेनीत कर दिया जाता है और तुलन पत्र में दायित्व के रूप में दर्शाया जाता है।

10. उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधियों का निवेश और इन निवेशों पर ब्याज के रूप में प्राप्त आय

इन निधियों में उपलब्ध राशि, जो खर्च के लिए तुरन्त अपेक्षित नहीं है, को अनुमोदित प्रतिभूतियों और बांड या बैंक में आवधिक जमा के रूप में निवेश किया जाता है, इसमें बचत बैंक खाता के शेष को छोड़ दिया जाता है।

इन निवेशों पर प्राप्त ब्याज, देय अर्जित ब्याज अदेय अर्जित ब्याज को सम्बन्धित निधियों में जमा कर दिया जाता है और उसे विश्वविद्यालय की आय के रूप में नहीं माना जाता है।

11. प्रायोजित परियोजनाएं

- 11.1 चल रही प्रायोजित परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रायोजकों से प्राप्त राशि को "वर्तमान दायित्व एवं प्रावधान – वर्तमान दायित्व – अन्य दायित्व – चल रही प्रायोजित परियोजनाओं के लिए प्राप्तियां" शीर्ष में क्रेडिट कर दिया जाता है। इन परियोजनाओं की राशि में से जब कभी खर्च किया जाता है/अग्रिम का भुगतान किया जाता है या सम्बन्धित परियोजना खाते को निर्धारित ऊपरी शीर्ष प्रभार के साथ डेबिट किया जाता है तो दायित्व खाता को डेबिट कर दिया जाता है।


11.2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति के लिए वित्तपोषित उद्दिष्ट निधि के अतिरिक्त विभिन्न संगठनों द्वारा भी अध्येतावृत्तियां और छात्रवृत्तियां प्रायोजित की जाती हैं। ऐसे खर्च जो सामान्यतः अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति के संवितरण पर होते हैं, जिनमें शोधार्थी और छात्र द्वारा आकस्मिक खर्च शामिल है, को छोड़ कर इनका लेखा भी प्रायोजित परियोजना की तरह ही रखा जाता है।


11.3 विश्वविद्यालय भी अध्येतावृत्तियां और छात्रवृत्तियां प्रदान करता है, जिनका लेखा-जोखा विश्वविद्यालय के शैक्षिक खर्च के रूप में रखा जाता है।

12 आय कर

आय कर अधिनियम की धारा 10(23 सी) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय की आय को आय कर से मुक्त रखा गया है। अतः खातों में कर के लिए कोई प्रावधान नहीं है।


अनुभाग अधिकारी (लेखा)


उप वित्त अधिकारी


वित्त अधिकारी

अनुसूची : 21

आकस्मिक देयताएं और लेखाओं से संबंधित टिप्पणियाँ

1. आकस्मिक देयताएं

- 1.1 31.3.2011 को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व/वर्तमान कर्मचारियों, किराएदारों, ठेकेदारों द्वारा जेएनयू के विरुद्ध दर्ज किए गए 59 मुकदमे और एक ठेकेदार के साथ तीन आर्बिट्रेशन मुकदमे निर्णयों के लिए लम्बित पड़े थे। कर्मचारियों द्वारा दर्ज किए गए मुकदमे स्थापना से संबंधित थे – यानी पदोन्नति, वेतनवृद्धि, वेतनमान, निलम्बन आदि से संबंधित। इन दावों की राशि का पता नहीं लग सका। ठेकेदारों द्वारा किए गए मुकदमों और आर्बिट्रेशन केस के दावे की राशि रु. 50.97 लाख थी।
- 1.2 जेएनयू की ओर से बैंक द्वारा साख-पत्र खोला गया और 31.3.11 को बकाया राशि रु. 2,43,74,394/- थी (पूर्व वर्ष में यह राशि रु. 9,41,90,607/- थी)।

2. पूंजीगत वचनबद्धताएं

पूंजीगत खाते पर पूरे किए जाने वाले शेष ठेकों की लागत और 31.3.11 को उपलब्ध नहीं कराए गए अग्रिमों की निवल राशि रु. 41.95 करोड़ थी। (पूर्व वर्ष में यह राशि – रु. 31.45 करोड़ थी)

3. स्थायी परिसम्पत्तियाँ

- 3.1 वर्ष 2010-2011 में अनुसूची 5सी (अन्य) की स्थायी परिसम्पत्तियों में हुए परिवर्धन में शैक्षिक विकास निधि में से खरीदी गई परिसम्पत्तियाँ (रु. 13,10,461/-), एक्विजम बैंक पुस्तकालय निधि में से खरीदी गई परिसम्पत्तियाँ (रु. 6,07,595/-), कार्पस निधि में से खरीदी गई परिसम्पत्तियाँ (रु. 8,576/-), प्रायोजित परियोजना निधियों में से खरीदी गई परिसम्पत्तियाँ (रु. 28,09,003/-) जिनका स्वामित्व जेएनयू के पास है, और विश्वविद्यालय को रु. 6,27,026/- मूल्य की उपहार स्वरूप प्राप्त पुस्तकालय-पुस्तकें और अन्य परिसम्पत्तियाँ भी शामिल हैं। ये परिसम्पत्तियाँ पूंजीगत निधि में क्रेडिट करके स्थापित की गई हैं, सिवाए उन परिसम्पत्तियों के जो विश्वविद्यालय निधियों में से खरीदी गई हैं।
- 3.2 31.3.2004 को तुलन पत्र और पूर्व वर्षों के तुलन पत्रों में योजनागत निधियों में से सृजित स्थायी परिसम्पत्तियों और योजनेतर निधियों से सृजित स्थायी परिसम्पत्तियों को अलग-अलग नहीं दर्शाया गया था। वर्ष 2004-2005 के दौरान योजनागत और योजनेतर निधियों से किए गए परिवर्तनों और उन परिवर्धनों पर मूल्यहास को क्रमशः स्थायी परिसम्पत्तियों की मुख्य अनुसूची (अनुसूची-5) की उप अनुसूची 5ए और 5बी और 5सी में अलग-अलग से दर्शाया गया है।
- 3.3 अनुसूची 5 में दर्शायी गई स्थायी परिसम्पत्तियों में वे परिसम्पत्तियाँ शामिल नहीं हैं जिनकी खरीद प्रायोजित परियोजना निधियों में से की गई है, और विश्वविद्यालय के स्वामित्व में हैं तथा उसके द्वारा प्रयोग की जा रही हैं, क्योंकि परियोजना करार में शामिल अनुबंधों के अनुसार परियोजना निधियों में से खरीदी गई सभी परिसम्पत्तियाँ प्रायोजकों की संपत्ति होंगी।

इन परिसम्पत्तियों का विवरण इस प्रकार से है :

परिसम्पत्तियाँ	1.4.2010 को वास्तविक मूल्य रु.	वर्ष के दौरान परिवर्धन रु.	योग रु.	मूल्यहास अथ शेष	वर्ष के लिए नोशनल मूल्यहास रु.	कुल मूल्यहास	31.3.11 को कुल खाता मूल्य
प्रयोगशाला उपस्कर	18,99,44,474	5,41,59,877	24,41,04,351	2,70,65,294	1,95,28,348	4,65,93,642	19,75,10,709

4. अनुदान:

- 4.1 वर्ष के दौरान, रु. 79,42,12,775/- के योजनागत अनुदान की प्राप्तियों में रु. 65,69,000/- की राशि भी शामिल है जिसकी मंजूरी 31 मार्च, 2011 से पहले प्राप्त हो गई थी लेकिन राशि वित्तीय वर्ष 2011-2012 में प्राप्त हुई। इस राशि की गणना प्रोद्भूत आधार पर की गई है। (लेखांकन नीति 9.1)
- 4.2 अ.पि.व. की सीटों में वृद्धि के कारण अपेक्षित जरूरतों को पूरा करने तथा मूलभूत ढांचे का सृजन और आवृत्ति व्यय पर खर्च करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 2008-2009 में रु. 214.18 करोड़ का योजनागत अनुदान मंजूर किया गया। वर्ष 2008-2009 से तीन वर्ष की अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय (रु.70.04 करोड़) और वर्ष 2008-2009 से पाँच वर्ष की अवधि के दौरान आवृत्ति व्यय (रु.144.14 करोड़) खर्च किया जाना है। वर्ष 2010-2011 के दौरान इस अनुदान राशि में से रु. 20 करोड़ की राशि मंजूर की गई थी। इस अनुदान राशि का लेखा अलग से तथा अनुसूची 8 (अनुदान/आर्थिक सहायता) में ढांचागत विकास निधि शीर्ष के अन्तर्गत रखा गया है।
- 4.3 वर्ष 2009-10 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी रु. 9,85,94,000/- के योजनेत्तर अनुदान का अथशेष वर्ष 2010-11 के लिए अग्रिम योजनेत्तर अनुदान को दर्शाता है। वर्ष 2011-12 के लिए योजनेत्तर अनुदान के अग्रिम के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा रु. 10,93,82,000 का योजनेत्तर अनुदान मंजूर किया गया, लेकिन राशि वित्तीय वर्ष 2011-12 में प्राप्त हुई। इस राशि की गणना प्रोद्भूत आधार पर की गई है (लेखांकन नीति 9.1) और इसे अनुप्रयुक्त अनुदान के रूप में अग्रणीत किया गया।
5. जमा देयताएं – बयाना जमा और प्रतिभूति जमा के रूप में बकाया राशि का सहायक बही खातों में समाधान किया गया। वित्तीय वर्ष 2008-09 से पूर्व अदावी के रूप में रुपये 3.49 करोड़ की राशि को राजस्व खाते में स्थानान्तरित किया गया और इसकी गणना वर्ष 2010-11 के लिए विविध आय के रूप में की गई।
6. वर्तमान परिसम्पत्तियाँ, ऋण और अग्रिम
प्रबन्धन के मतानुसार वर्तमान परिसम्पत्तियाँ, ऋण और अग्रिमों का सामान्य तौर पर नकदीकरण करने पर जो मूल्य होता है वह कम से कम तुलन-पत्र में दर्शाए गए कुल मूल्य के बराबर होता है।

7. बचत बैंक खाता, चालू खाता (पेंशन) और बैंक में आवधिक जमा खातों में शेषों का विवरण संलग्न 'ए' में दिया गया है।
8. पूर्व वर्षों के आंकड़ों को यथावश्यक फिर से गुपबद्ध किया गया है।
9. अंतिम खातों में आंकड़ों को करीबी रूपों में राउंड ऑफ किया गया है।
10. अनुसूची 1 से 21 संलग्न है और यह 31 मार्च 2011 के तुलनपत्र और इस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के आय व व्यय लेखा के एक अभिन्न भाग के रूप में है।
11. चूंकि भविष्य निधि खाता और नई पेंशन योजना खाता में सदस्यों की ही निधि होती है, न कि विश्वविद्यालय की। अतः इन खातों को वर्ष 2004-2005 से विश्वविद्यालय के खातों से अलग किया गया है। यद्यपि भविष्य निधि खाता के प्राप्ति और अदायगी खाता, आय और व्यय खाता (प्रोद्भूत आधार पर) और तुलन पत्र के साथ-साथ वर्ष 2010-11 के लिए नई पेंशन योजना को विश्वविद्यालय के लेखाओं के साथ संलग्न किया गया है। पीआरए नम्बर आबंटित 375 कर्मचारियों के संबंध में नई पेंशन योजना निधि का बड़ा हिस्सा (रु. 3.7 करोड़) अप्रैल 2011 तक नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)-सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (सीआरए) को स्थानांतरित कर दिया गया है। विश्वविद्यालय के पास नई पेंशन योजना के अंतर्गत उपलब्ध लगभग 60 कर्मचारियों से संबंधित शेष राशि को इन्हें एक बार एजेंसी द्वारा पीआरए नम्बर आबंटित करते ही वर्ष 2011-2012 में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।



अनुभाग अधिकारी (लेखा)



उप वित्त अधिकारी



वित्त अधिकारी


31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष
के लिए लेखाओं के भाग के रूप में
अनुसूचियाँ


जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष का प्राप्ति और अदायगी-लेखा

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	अदायगियाँ	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
I अथ शेष			I. व्यय		
क. हाथ रोकड़	6,68,534	5,43,256	क. स्थापना	36,39,22,075	60,51,36,810
ख. बैंक शेष			ख. प्रशासनिक	35,96,48,931	44,95,22,269
- चालू खाते में	2,31,15,958	1,60,73,696	ग. शैक्षिक	21,74,98,845	19,79,89,261
- बचत खाते में	1,06,62,62,046	86,16,05,074	घ. मरम्मत और अनुरक्षण	3,13,64,626	3,41,54,303
- जमा खाते में			च. पूर्व अवधि के व्यय	1,09,09,080	70,09,657
II. प्राप्त अनुदान	2,31,09,43,689	2,81,75,81,429	II. उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधियों के लिए अदायगियाँ	19,62,61,054	16,43,56,925
III. दान और अंश दान	-	-	III. प्रायोजित परियोजनाओं/योजनाओं के लिए अदायगियाँ	30,28,38,477	30,85,61,472
IV. शैक्षिक प्राप्तियाँ	3,42,08,531	3,23,97,686	IV. प्रायोजित अध्येतावृत्तियों/छात्रवृत्तियों के लिए अदायगियाँ	9,85,22,852	7,42,21,475
V. उद्दिष्ट/वृत्तिदान निधियों के लिए प्राप्तियाँ	30,32,91,453	23,20,25,002	V. निवेश	44,29,49,304	33,89,08,135
VI. अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	-	57,26,518	VI. स्थायी परिसम्पत्तियों और पूंजीगत कार्य (चल रहे) पर खर्च		
VII. प्रायोजित परियोजनाओं/योजनाओं के लिए प्राप्तियाँ	24,52,54,813	34,11,08,263	क. स्थायी परिसम्पत्तियाँ	10,55,07,286	7,16,16,468
VIII. प्रायोजित अध्येतावृत्तियों/छात्रवृत्तियों के लिए प्राप्तियाँ	15,06,53,248	8,66,55,495	ख. चल रहे पूंजीगत कार्य	8,94,657	1,83,421
IX. निवेश से आय	1,50,64,524	2,55,85,733	VII. वेतन से संबंधित अदायगियाँ	85,28,28,622	74,80,78,307
X. प्राप्त ब्याज	1,94,27,078	69,82,948	VIII. सांविधिक अदायगियाँ सहित अन्य अदायगियाँ	1,67,24,515	7,09,38,917
XI. जमा और अग्रिम	5,75,94,724	4,78,89,018	IX. कॉर्पस निधि	38,44,142	36,33,353
XII. अन्य आय	8,44,76,582	2,56,29,340	X. जमा और अग्रिम	42,12,68,530	62,07,52,251
XIII. सांविधिक प्राप्तियों सहित विविध प्राप्तियाँ	10,54,550	10,45,891	XI. अनुसूचित बैंकों में मियादी जमा	69,81,33,918	50,65,91,370
XIV. कॉर्पस निधि	1,22,10,979	1,55,06,058	XII. अन्त शेष -		
XV. निवेश	43,57,76,020	13,82,43,524	क. हाथ रोकड़	2,68,979	6,68,534
XVI. अनुसूचित बैंकों में मियादी जमा	74,40,10,047	63,71,02,000	ख. बैंक शेष		
			- चालू खाते में	1,53,86,577	2,31,15,958
			- बचत खाते में	1,36,52,40,307	1,06,62,62,046
योग	5,50,40,12,777	5,29,17,00,931	योग	5,50,40,12,777	5,29,17,00,931



अनुभाग अधिकारी (लेखा)



उप वित्त अधिकारी



वित्त अधिकारी

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2011 को तुलन-पत्र

राशि 31.03.2010	देयताएं	राशि 31.03.2011	राशि 31.03.2010	परिसंपत्तियाँ	राशि 31.03.2011
78,40,09,017	<u>सामान्य भविष्य निधि</u> अथ शेष 78,40,09,017 घटा: मार्च,10 के लिए अंशदान 1,23,07,596 77,17,01,421 जमा - अंशदान 16,56,81,093 जमा - क्रेडिट किया गया ब्याज 6,62,04,739 जमा- मार्च, 11 के लिए अंशदान 1,30,28,714 घटा - अग्रिम/निकासी 14,53,59,378		96,36,31,374 2,58,50,390	निवेश 31 मार्च 11 को प्रोद्भूत ब्याज मार्च 11 के लिए देय अंशदान सा.भ.नि. 1,30,28,714 अं.भ.नि. 13,27,514 विश्वविद्यालय अंशदान 4,42,404 न.पें.यो.-II 2,63,350 हाथ रोकड़	1,04,85,08,930 2,68,46,065
12,24,01,204	<u>अंशदायी भविष्य निधि</u> अथ शेष 12,24,01,204 घटा -मार्च,10 के लिए अंशदान 11,76,575 12,12,24,629 जमा - अंशदान 1,80,70,858 जमा - क्रेडिट किया गया ब्याज 97,62,034 जमा - मार्च,11 के लिए अंशदान 13,27,514 घटा - अग्रिम/निकासी 2,41,25,225	87,12,56,589	1,41,97,695	एस.बी.आई.जनेवि शाखा-I 1,13,52,990 एस.बी.आई.जनेवि शाखा-II 4,50,515 आई.सी.आई.सी.आई. बैंक 1,35,41,021	1,50,61,982 2,53,44,526
6,74,17,782	<u>विश्वविद्यालय का अंशदान</u> अथ शेष 6,74,17,782 घटा -मार्च,10 के लिए अंशदान 4,61,474 6,69,56,308 जमा - अंशदान 69,82,474 जमा - क्रेडिट किया गया ब्याज 52,87,393 जमा - मार्च,11 के लिए अंशदान 4,42,404 घटा - अग्रिम/निकासी 84,87,085	12,62,59,810			
47,05,341	<u>न.पें.यो. टीयर-II खाता</u> अथ शेष 47,05,341 घटा - मार्च,10 के लिए अंशदान 2,52,050 44,53,291 जमा - अंशदान 30,99,700 जमा - क्रेडिट किया गया ब्याज 4,79,169 जमा - मार्च,11 के लिए अंशदान 2,63,350 घटा - वापसियां 7,08,504	7,11,81,494			
3,93,73,393	<u>ब्याज आरक्षित</u> अथ शेष 3,93,73,393 जमा - व्यय से आय की अधिकता 1,03,211	75,87,006 3,94,76,604			
1,01,79,06,737	योग	1,11,57,61,503	1,01,79,06,737	योग	1,11,57,61,503


अनुभाग अधिकारी (लेखा)


उप वित्त अधिकारी


वित्त अधिकारी

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
भविष्य निधि खाता

31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष का आय और व्यय लेखा

राशि 31.03.2010	व्यय	राशि 31.03.2011	राशि 31.03.2010	आय	राशि 31.03.2011
5,77,78,567 90,47,131	ब्याज क्रेडिट किया - सामान्य भविष्य निधि खाता अंशदायी भविष्य निधि खाता	6,62,04,739 97,62,034	7,70,02,861	निवेश पर अर्जित ब्याज 8,08,40,871 जमा-मार्च 11 में प्रोदभूत लेकिन अप्राप्य ब्याज 2,68,46,065 10,76,86,936	
41,88,089 2,64,238 57,24,836	विश्वविद्यालय अंशदान नई पेंशन योजना टीयर II खाता व्यय से आय की अधिकता	52,87,393 4,79,169 1,03,211		घटा - मार्च 2010 में प्रोदभूत ब्याज 2,58,50,390	8,18,36,546
7,70,02,861	योग	8,18,36,546	7,70,02,861	योग	8,18,36,546


अनुभाग अधिकारी (लेखा)



उप वित्त अधिकारी


वित्त अधिकारी

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
भविष्य निधि खाता

वित्तीय वर्ष 2010-2011 के लिए प्राप्तियाँ और अदायगियाँ लेखा

प्राप्तियाँ		राशि	अदायगियाँ	राशि
1.4.10 को अथ शेष			सा.भ.नि. अग्रिम/निकासी	14,53,59,378
एस.बी.आई. जेएनयू शाखा-1	59,47,696		अंशदायी भविष्य निधि अग्रिम निकासी	2,41,25,225
एस.बी.आई. जेएनयू शाखा-2	4,35,100		नई पेंशन योजना-II	7,08,504
आई.सी.आई.सी.आई. बैंक	78,44,482	1,42,27,278	विश्वविद्यालय अंशदान निकासी	84,87,085
सामान्य भविष्य निधि अंशदान		16,56,81,093	वर्ष के दौरान निवेश	17,08,11,179
अंशदायी भविष्य निधि अंशदान		1,80,70,858		
विश्वविद्यालय अंशदान		69,82,474		
नई पेंशन योजना टीयर-II खाता		30,99,700		
निवेश भुनाए		8,59,33,623		
प्राप्त ब्याज		8,08,40,871	अंत शेष:-	
			एस.बी.आई. जेएनयू शाखा-1	1,13,52,990
			एस.बी.आई. जेएनयू शाखा-2	4,50,515
			आई.सी.आई.सी.आई. बैंक	1,35,41,021
				2,53,44,526
योग		37,48,35,897	योग	37,48,35,897


अनुभाग अधिकारी (लेखा)



उप वित्त अधिकारी



वित्त अधिकारी

नई पेंशन योजना टीयर-1 खाता
31 मार्च, 2011 को तुलन-पत्र

राशि 31.03.2010	देयताएं	राशि 31.03.2011	राशि 31.03.2010		परिसम्पत्तियाँ	राशि 31.03.2011
4,79,62,139	न.पे.यो. टीयर-1 खाता अथ शेष घटा - मार्च,10 के लिए अंशदान	4,79,62,139 6,51,540 4,73,10,599		6,51,540	न.पे.यो. टीयर-1 खाता मार्च 11 में देय अंशदान	4,30,914
	जमा - अंशदान+वि.अं. जमा - क्रेडिट किया गया ब्याज	67,16,510 11,25,861		1,70,00,000 8,11,646	निवेश प्रोद्भूत ब्याज लेकिन देय नहीं	1,70,00,000 8,11,646
	घटा - आहरण	5,51,52,970 3,73,05,276		3,03,10,565	बैंक शेष	16,64,777
	जमा - अंशदान+वि.अं.3/11	1,78,47,694 4,30,914	1,82,78,608			
8,11,612	31.3.2011 के अनुसार अनुरक्षण खाते में कुल देय राशि		8,11,612			
	व्यय से आय की अधिकता		8,17,117			
4,87,73,751	योग		1,99,07,337	4,87,73,751	योग	1,99,07,337


अनुभाग अधिकारी (लेखा)


उप वित्त अधिकारी


वित्त अधिकारी

नई पेंशन योजना टीयर-I खाता
वित्तीय वर्ष 2010-2011 के लिए आय और व्यय लेखा

राशि 31.03.2010	व्यय	राशि 31.03.2011	राशि 31.03.2010	आय	राशि 31.03.2011
28,57,878 99	अंशदायी खाते में क्रेडिट ब्याज बैंक प्रभार	11,25,861 170	28,27,351	निवेश पर अर्जित ब्याज 19,43,148	
				जमा : 31.3.2011 के अनुसार प्रोद्भूत ब्याज 8,11,646	
				27,54,794	
				घटा : 31.3.2010 के अनुसार प्रोद्भूत ब्याज 8,11,646	19,43,148
	व्यय से आय की अधिकता	8,17,117	30,626	आय से व्यय की अधिकता	—
28,57,977	योग	19,43,148	28,57,977	योग	19,43,148


अनुभाग अधिकारी (लेखा)



उप वित्त अधिकारी


वित्त अधिकारी

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
नई पेंशन योजना टीयर-1 खाता
 वित्तीय वर्ष 2010-2011 के लिए प्राप्तियाँ और अदायगियाँ लेखा

प्राप्तियाँ	राशि	अदायगियाँ	राशि
1.4.2010 को अथ शेष न.पें.यो. टीयर 1 खाता	3,03,10,565	31.03.11 को अन्त शेष	16,64,777
स्वयं का अंशदान 33,58,255		बैंक प्रभार 170	
विश्वविद्यालय का अंशदान <u>33,58,255</u>	67,16,510	एनएसडीएल को वापसी 3,73,05,276	
निवेश पर प्राप्त ब्याज	19,43,148		
योग	3,89,70,223	योग	3,89,70,223


 अनुभाग अधिकारी (लेखा)


 उप वित्त अधिकारी


 वित्त अधिकारी

लेखाओं की लेखापरीक्षा

“प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।”

31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन

हमने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (ज.ने.वि.), के 31 मार्च, 2011 को संलग्न तुलन-पत्र तथा इसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा/प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखाओं की लेखा-परीक्षा नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तों) के अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अन्तर्गत की है। इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रबन्धन की है। हमारी जिम्मेदारी इन वित्तीय विवरणों पर लेखा-परीक्षा के आधार पर विचार व्यक्त करने की है।

2. इस पृथक लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन में वर्गीकरण, सर्वोत्तम परिपाटियों के साथ एकरूपता, लेखांकन मापदण्ड और प्रकटन प्रतिमानकों आदि के संबंध में लेखांकन प्रक्रिया पर केवल भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षा की टिप्पणियाँ हैं। विधि, नियम और विनियमों (उपयुक्तता एवं नियमितता) तथा दक्षता-व-निष्पादन पक्षों आदि के अनुपालन के संबंध में किए गए वित्तीय लेन-देनों पर यदि कोई लेखा-परीक्षा अभ्युक्तियाँ हैं तो उन्हें निरीक्षण रिपोर्ट/नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से अलग से रिपोर्ट किया जाता है।

3. हमने सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखा-परीक्षण मानकों के अनुरूप अपनी लेखा-परीक्षा की है। इन मानकों में अपेक्षित है कि वित्तीय विवरणों के आर्थिक अर्थव्यवस्था विवरणों से मुक्त होने के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम योजनागत तरीके से लेखा-परीक्षा निष्पादित करें। लेखा-परीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों तथा प्रकटन समर्थित साक्ष्य की नमूना आधार पर जाँच शामिल है। लेखा-परीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों तथा तैयार किए गए सार्थक अनुमानों के निर्धारण के साथ वित्तीय विवरणों में पूर्ण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है। हमें विश्वास है कि लेखा-परीक्षा हमारे विचारों को उचित आधार प्रदान करती है।

4. हमारी लेखा-परीक्षा के आधार पर हम सूचित करते हैं कि :

- i. लेखा-परीक्षा के उद्देश्य के लिए हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमने आवश्यक सूचना एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं।
- ii. इस लेखा-परीक्षा रिपोर्ट से संबंधित तुलन-पत्र और आय एवं व्यय लेखे/प्राप्ति एवं भुगतान लेखे वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित फार्मेट में तैयार किए गए हैं।
- iii. हमारी राय में, अभी तक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा उचित लेखा पुस्तकों और अन्य संगत रिकार्ड यथा अपेक्षित अनुरक्षित किए गए हैं जैसा कि हमारे द्वारा इन पुस्तकों की जाँच से प्रतीत होता है।
- iv. हम पुनः सूचित करते हैं कि :

क. सामान्य

क. 1 बैंक समाधान

बैंक समाधान विवरणों की जाँच से पता चलता है कि निम्नलिखित बैंक खातों के बैंक समाधान विवरणों में एक बड़ी राशि बिना समाधान के रह गई है। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है :

क्र. बैंक खाता सं. सं.	चेक जारी किए गए लेकिन 30.9.2010 तक भुनाए नहीं गए	बैंक द्वारा डेबिट बढ़ाए गए लेकिन रोकड़ बही में दर्ज नहीं किए	बैंक द्वारा क्रेडिट दिए गए लेकिन रोकड़ बही में दर्ज नहीं किए	चेक जमा कि गए लेकिन बैंक द्वारा क्रेडिट नहीं दिया गया
1. अनुरक्षण खाता सं. 10596551090	1,02,85,565	51,40,060	79,34,141.76	12,29,07,852.76
2. योजना खाता सं. 10596551103	18,39,978	3,52,97,052	27,55,33,088	15,97,10,899
3. जमा खाता सं. 10596599955	31.3.2011 को 3,65,57,793	1,93,269	1,99,062	11,90,288
4. गृह निर्माण अग्रिम खाता 10596549058	कोई नहीं	43,09,404	46,93,631	9,71,361
5. सीईईबी खाता 105965--49944	3,388	73,963	756,314	1,48,43,503.54
6. कार्पस निधि खाता 105965--50278	95,044	1,18,744	14,73,607	8,08,275
7. एडीएफ खाता 105965--50007	4,11,177	5,55,670	2,43,11,233	52,07,346
8. आधारिक संरचना खाता 30480001988	15,86,646	3,31,63,461	38,14,690	31,86,890

यह भी देखा गया कि :

- (i) सीईईबी खाता संख्या 49944 और एडीएफ खाता संख्या 5007 के बैंक समाधान में रु. 56.11 लाख की राशि (सीईईबी खाता रु. 7.94 लाख और एडीएफ खाता रु. 48.17 लाख) (59 मामले) को 'चेक' बैंक में जमा किए गए लेकिन बैंक द्वारा क्रेडिट नहीं दिया गया' के रूप में दर्शाए गए हैं, ये फरवरी 2009 से पहले के हैं।
- (ii) इसी तरह रु. 191.22 लाख की राशि (216 मामले) को 'बैंक द्वारा राशि डेबिट की गई लेकिन बैंक बही में क्रेडिट नहीं की गई' के रूप में दर्शाया गया है। यह राशि फरवरी 2009 से पहले की है।

चूँकि, बैंक खातों का समाधान शीघ्रता से नहीं होने के कारण इसमें फ्राड की संभावना हो सकती है। इसकी शीघ्रता से जाँच करने, पता लगाने और मिलान करने की आवश्यकता है। इन राशियों की जाँच नहीं होने के कारण इसमें गबन का खतरा बना रहता है। विश्वविद्यालय को प्रभावी कदम उठाने चाहिए तथा मामले के समाधान हेतु बैंक को कहा जाना चाहिए।

ख. सहायक अनुदान

वर्ष 2010-11 के दौरान विश्वविद्यालय ने रुपये 231.09 करोड़ (योजनागत रुपये 78.41 करोड़ और योजनेत्तर रुपये 152.68 करोड़) की अनुदान राशि प्राप्त की तथा इसके पास रुपये 112.43 करोड़ (योजनागत रुपये 102.57 करोड़ और योजनेत्तर रुपये 9.86 करोड़) का अथ शेष था। सहायता अनुदान में से रुपये 231.09 करोड़ वर्ष के दौरान प्राप्त किए तथा रुपये 23.03 करोड़ (योजनागत रुपये 0.89 करोड़ और योजनेत्तर रुपये 22.14 करोड़) मार्च, 2011 में प्राप्त किए थे। विश्वविद्यालय ने रुपये 195.93 करोड़ का उपयोग किया तथा इसके पास रुपये 147.59 करोड़ शेष थे।

ग. प्रबन्धन-पत्र

कुछ अभियुक्तियों को लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया, जिन्हें उपचारात्मक/सार्थक कदम उठाने के लिए अलग से जारी किए गए प्रबन्धन-पत्र के माध्यम से जेएनयू के कुलपति की जानकारी में लाया गया।

- v. पूर्ववर्ती पैराओं में हमारे अवलोकन के अधीन हम सूचित करते हैं कि इस प्रतिवेदन से संबंधित तुलन-पत्र तथा आय और व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, लेखा पुस्तकों के साथ मेल खाते हैं।
- vi. हमारी राय तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त वित्तीय विवरण लेखांकन नीतियों तथा उन पर टिप्पणियों के साथ पठित तथा इसके साथ संलग्न लेखा परीक्षा-रिपोर्ट उपरोक्त उल्लिखित महत्त्वपूर्ण मामलों और अन्य मामलों के अधीन सामान्य तौर पर भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के समरूप सही एवं उचित रूप प्रस्तुत करते हैं :
- क. जहाँ तक ये 31 मार्च, 2011 को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के तुलन-पत्र से संबंधित हैं, तथा
- ख. जहाँ तक ये उसी तिथि को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखे की कमी से संबंधित है।

स्थान : नई दिल्ली

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से

ह0/-

महानिदेशक लेखापरीक्षा

केन्द्रीय राजस्व

दिनांक : 02.11.2011

संलग्नक-I

1. आन्तरिक लेखा परीक्षा पद्धति की उपयुक्तता

- जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अपना आन्तरिक लेखा-परीक्षा विभाग है।
- आपत्तियों के समाधान के लिए पर्याप्त रूप से अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि 31.3.2011 के अनुसार 257 पैरा शेष थे। आन्तरिक लेखा-परीक्षा की शेष आपत्तियों का वर्षवार विवरण नीचे प्रस्तुत है :

वर्ष	आपत्तियों की संख्या
2007-08	15
2008-09	48
2009-10	194
योग	257

2. आन्तरिक नियंत्रण पद्धति की उपयुक्तता

मानिटरिंग

- संबंधित दिनांक के अनुसार 2 अनुशासनिक मामले लंबित हैं।
- लेखा-परीक्षा आपत्तियों पर प्रबंधन का जवाब प्रभावी नहीं था, क्योंकि 31.3.2011 को वर्ष 1998-2000 से 2009-2010 तक की अवधि के 144 पैरा शेष थे।

3. परिसम्पत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की पद्धति

- लेखा परीक्षा को समेकित परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया।
- वर्ष 2010-11 तक परिसम्पत्तियों (पुस्तकालय पुस्तकों को छोड़कर) का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया था।
- वर्ष 2004-05 से पुस्तकालय की पुस्तकों का प्रत्यक्ष सत्यापन पुस्तकों के पूर्व संपरिवर्तन के कारण नहीं किया गया था।

4. सामान सूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की पद्धति

- वर्ष 2010-2011 के लिए स्टेशनरी और अन्य उपभोग्य वस्तुओं के स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया था और कोई विसंगति नहीं पाई गई।

5. सांविधिक देय राशि के भुगतान में नियमितता

- लेखाओं के अनुसार 31.3.2011 को पिछले छः महीने से अधिक अवधि की किसी भी तरह की सांविधिक देय राशि के भुगतान शेष नहीं थे।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
नई दिल्ली-110067

31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन और उस पर विश्वविद्यालय की टिप्पणियाँ

क. सामान्य

क.1 बैंक समाधान

बैंक समाधान विवरणों की जाँच से पता चलता है कि निम्नलिखित बैंक खातों के बैंक समाधान विवरणों में एक बड़ी राशि बिना समाधान के रह गई है। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है :

क्र. बैंक खाता सं. सं.	चेक जारी किए गए लेकिन 30.9.2010 तक भुनाए नहीं गए	बैंक द्वारा डेबिट बढ़ाए गए लेकिन रोकड़ बही में दर्ज नहीं किए	बैंक द्वारा क्रेडिट दिए गए लेकिन रोकड़ बही में दर्ज नहीं किए	चेक जमा कि गए लेकिन बैंक द्वारा क्रेडिट नहीं दिया गया
1 अनुरक्षण खाता सं. 10596551090	1,02,85,565	51,40,060	79,34,141.76	12,29,07,852.76
2 योजना खाता सं. 10596551103	18,39,978	3,52,97,052	27,55,33,088	15,97,10,899
3 जमा खाता सं. 10596599955	31.3.2011 को 3,65,57,793	1,93,269	1,99,062	11,90,288
4 गृह निर्माण अग्रिम खाता 10596549058	कोई नहीं	43,09,404	46,93,631	9,71,361
5 सीईईबी खाता 105965-49944	3,388	73,963	756,314	1,48,43,503.54
6 कार्पस निधि खाता 105965-50278	95,044	1,18,744	14,73,607	8,08,275
7 एडीएफ खाता 105965-50007	4,11,177	5,55,670	2,43,11,233	52,07,346
8 आधारिक संरचना खाता 30480001988	15,86,646	3,31,63,461	38,14,690	31,86,890

यह भी देखा गया कि :

- (i) सीईईबी खाता संख्या 49944 और एडीएफ खाता संख्या 5007 के बैंक समाधान में रु. 56.11 लाख की राशि (सीईईबी खाता रु. 7.94 लाख और एडीएफ खाता रु. 48.17 लाख) (59 मामले) को (चेक) बैंक में जमा किए गए लेकिन बैंक द्वारा क्रेडिट नहीं दिया गया' के रूप में दर्शाए गए हैं, ये फरवरी 2009 से पहले के हैं।
- (ii) इसी तरह रु. 191.22 लाख की राशि (216 मामले) को 'बैंक द्वारा राशि डेबिट की गई लेकिन बैंक बही में क्रेडिट नहीं की गई' के रूप में दर्शाया गया है। यह राशि फरवरी, 2009 से पहले की है।

चूँकि, बैंक खातों का समाधान शीघ्रता से नहीं होने के कारण इसमें फ़ाड की संभावना हो सकती है। इसकी शीघ्रता से जाँच करने, पता लगाने और मिलान करने की आवश्यकता है। इन राशियों की जाँच नहीं होने के कारण इसमें गबन का खतरा बना रहता है। विश्वविद्यालय को प्रभावी कदम उठाने चाहिए तथा मामले के समाधान हेतु बैंक को कहा जाना चाहिए।

विश्वविद्यालय की टिप्पणियाँ

1. मामले पर तुरंत कार्रवाई की गई तथा बैंक समाधान विवरणों में लंबित राशियों के समाधान के लिए गंभीर प्रयास किए गए। इन प्रयासों के कारण पर्याप्त प्रगति हुई है तथा बिना समाधान के शेषों को पर्याप्त रूप से कम किया गया है। बिना समाधान की राशि की वर्तमान स्थिति निम्नलिखित है :

क्र. बैंक खाता सं. सं.	चेक जारी किए गए लेकिन भुनाए नहीं गए	बैंक द्वारा डेबिट बढ़ाए गए लेकिन रोकड़ बही में दर्ज नहीं किए	बैंक द्वारा क्रेडिट दिए गए लेकिन रोकड़ बही में दर्ज नहीं किए	चेक जमा कि गए लेकिन बैंक द्वारा क्रेडिट नहीं दिया गया
1. अनुरक्षण खाता सं. 10596551090	11,85,326	8,41,941	11,64,595	27,55,572
2. योजना खाता सं. 10596551103	13,29,355	3,36,64,119	2,75,53,088	1,64,050
3. जमा खाता सं. 10596599955	कोई नहीं	60,288	1,17,815	2,86,269
4. गृह निर्माण अग्रिम खाता 10596549058	कोई नहीं	4,354	78,413	6,33,424
5. सीईईबी खाता 105965-49944	कोई नहीं	कोई नहीं	1,86,189	कोई नहीं
6. कार्पस निधि खाता 105965-50278	कोई नहीं	1,17,464	14,29,107	7,08,815
7. एडीएफ खाता 105965-50007	कोई नहीं	15,025	53,68,758	3,87,364
8. आधारिक संरचना खाता 30480001988	कोई नहीं	50,76,243	25,20,021	कोई नहीं

2. यह भी कहा जाता है कि यद्यपि ये विसंगतियाँ वर्तमान लेखा-परीक्षा की अवधि से पूर्व वर्षों से संबंधित हैं, उन वर्षों के दौरान की गई लेखा-परीक्षा के समय कोई आपत्ति नहीं उठाई गई और यह लेखा-परीक्षा द्वारा पहली बार उठाया गया है।
3. बिना समाधान की राशि के समाधान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

ख. सहायक अनुदान

वर्ष 2010-11 के दौरान विश्वविद्यालय ने रुपये 231.09 करोड़ (योजनागत रुपये 78.41 करोड़ और योजनेतर रुपये 152.68 करोड़) की अनुदान राशि प्राप्त की तथा इसके पास रुपये 112.43 करोड़ (योजनागत रुपये 102.57 करोड़ और योजनेतर रुपये 9.86 करोड़) का अथ शेष था। सहायता अनुदान में से रुपये 231.09 करोड़ वर्ष के दौरान प्राप्त किए तथा रुपये 23.03 करोड़ (योजनागत रुपये 0.89 करोड़ और योजनेतर रुपये 22.14 करोड़) मार्च, 2011 में प्राप्त किए थे। विश्वविद्यालय ने रुपये 195.93 करोड़ का उपयोग किया तथा इसके पास रुपये 147.59 करोड़ शेष थे।

विश्वविद्यालय की टिप्पणियाँ

लेखा-परीक्षा द्वारा दर्शाए गए आंकड़े रोकड़ आधार पर हैं तथा प्राप्तियाँ और अदायगियाँ लेखा से मेल खाते हैं। प्रोद्भूत लेखांकन के अन्तर्गत स्थिति निम्नलिखित है :

2009-10 से अग्रणीत अप्रयुक्त अनुदान का शेष	रु. 112.43 करोड़
जमा : वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान (243.04-0.38)	रु. 242.66 करोड़
जमा : आय और व्यय लेखा के अनुसार आंतरिक प्राप्ति	रु. 15.27 करोड़
योग	रु. 370.36 करोड़
आय और व्यय लेखा के अनुसार राजस्व व्यय	रु. 267.11 करोड़
अनुसूची 8 के अनुसार पूंजीगत व्यय	रु. 49.47 करोड़
कुल व्यय	रु. 316.58 करोड़

उपरोक्त दर्शाए गए राजस्व व्यय में कर्मचारियों के लिए रु. 64.92 करोड़ के सेवानिवृत्ति एवं सेवांत हितलाभ तथा रु. 11.88 करोड़ के मूल्यहास के प्रावधान शामिल हैं जिनके लिए कोई वास्तविक रोकड़ नहीं गया।

वार्षिक लेखाओं के अनुसार कुल योजनागत व्यय रु. 76.77 करोड़, जबकि कुल योजनेतर व्यय रु. 163.02 करोड़ था; इसमें रु. 11.88 करोड़ के मूल्यहास और रु. 64.92 करोड़ के सेवानिवृत्ति हितलाभ के प्रावधान शामिल नहीं थे।

ग. प्रबन्धन-पत्र

कुछ अभियुक्तियों को लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया, जिन्हें उपचारात्मक/सार्थक कदम उठाने के लिए अलग से जारी किए गए प्रबन्धन-पत्र के माध्यम से जेएनयू के कुलपति की जानकारी में लाया गया।

विश्वविद्यालय की टिप्पणियाँ

अलग प्रबन्धन पत्र में कुलपति जेएनयू को भेजी गई अभियुक्तियों के उत्तर अलग से दिए गए हैं।

शंकर धर

उप वित्त अधिकारी (लेखा)
शंकर धर / SHANKAR DHAR
उप वित्त अधिकारी / Dy. Finance Officer
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय
Jawaharlal Nehru University
नई दिल्ली-67 / New Delhi-67

लेखा-परीक्षा रिपोर्ट का संलग्नक

1. आन्तरिक लेखा परीक्षा पद्धति की उपयुक्तता

- जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अपना आन्तरिक लेखा-परीक्षा विभाग है।
- आपत्तियों के समाधान के लिए पर्याप्त रूप से अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि 31.3.2011 के अनुसार 257 पैरा शेष थे। आंतरिक लेखा-परीक्षा की शेष आपत्तियों का वर्षवार विवरण नीचे प्रस्तुत है :

वर्ष	आपत्तियों की संख्या
2007-08	15
2008-09	48
2009-10	194
योग	257

विश्वविद्यालय की टिप्पणियाँ

- हाँ
- 257 पैराओं में से 120 पैरा (वर्ष 2007-2008 के 09 पैरा, वर्ष 2008-2009 के 16 पैरा और वर्ष 2009-2010 के 95 पैरा) का समाधान कर लिया गया है। आंतरिक लेखा-परीक्षा की बकाया आपत्तियों का वर्षवार विवरण नीचे प्रस्तुत है :

वर्ष	आपत्तियों की संख्या
2007-08	06
2008-09	32
2009-10	99
योग	137

बकाया लेखा-परीक्षा पैराओं के समाधान हेतु त्रैमासिक समीक्षा की पद्धति शुरू की गई है। उपरोक्त बकाया पैराओं के शीघ्र समाधान हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

2. आन्तरिक नियंत्रण पद्धति की उपयुक्तता

मानिटरण

- संबंधित दिनांक के अनुसार 2 अनुशासनिक मामले लंबित हैं।
- लेखा-परीक्षा आपत्तियों पर प्रबंधन का जवाब प्रभावी नहीं था, क्योंकि 31.3.2011 को वर्ष 1998-2000 से 2009-2010 तक की अवधि के 144 पैरा शेष थे।

विश्वविद्यालय की टिप्पणियाँ

- कोई टिप्पणी नहीं।
 - 144 लेखा-परीक्षा पैराओं में से 75 लेखा-परीक्षा आपत्तियों के उत्तर वर्तमान लेखा-परीक्षा कर रहे लेखा-परीक्षा अधिकारी को प्रस्तुत कर दिए गए हैं, इनमें से 20 लेखा-परीक्षा पैराओं का समाधान कर लिया गया है और बकाया लेखा-परीक्षा आपत्तियों के उत्तर भी भेजने के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं।
3. परिसम्पत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की पद्धति
- लेखा परीक्षा को समेकित परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया।
 - वर्ष 2010-11 तक परिसम्पत्तियों (पुस्तकालय पुस्तकों को छोड़कर) का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया था।
 - वर्ष 2004-05 से पुस्तकालय की पुस्तकों का प्रत्यक्ष सत्यापन पुस्तकों के पूर्व संपरिवर्तन के कारण नहीं किया गया था।

विश्वविद्यालय की टिप्पणियाँ

- सम्पदा शाखा द्वारा खरीदे गए फर्नीचर और कार्यालय उपकरणों के लिए मदवार स्टॉक रजिस्टर का अनुरक्षण सम्पदा शाखा करती है। सम्पदा शाखा द्वारा परिसम्पत्ति रजिस्टर भी अनुरक्षित किया जा रहा है, जिसमें सम्पदा शाखा और अन्य संस्थानों द्वारा प्राप्त की गई सभी परिसम्पत्तियों की प्रविष्टियाँ की जाती हैं। इन सभी रजिस्ट्रों को संवीक्षा हेतु लेखा-परीक्षा को प्रस्तुत किया गया था।
- स्टॉक सत्यापन का कार्य पिछले 5 वर्ष से नहीं किया जा सका क्योंकि वर्ष 2006 से पुस्तकों के पूर्ण संग्रह का पूर्व संपरिवर्तन का कार्य किया जा रहा था। पुस्तकों का पूर्व संपरिवर्तन का कार्य लगभग पूरा होने वाला है। पुस्तकालय में 5 लाख से अधिक पुस्तकों का संग्रह है, स्टॉक सत्यापन का कार्य सामाजिक, मानविकी और विज्ञान विषयों में विषय-वार किया जाएगा।

पूर्व संपरिवर्तन के बाद पुस्तकों के स्टॉक सत्यापन हेतु पुस्तकालय डाटाबेस से विषय-वार सूची तैयार की जाएगी। एक सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष की देख-रेख में स्टॉक सत्यापन प्रकोष्ठ की स्थापना की जा रही है। यह प्रकोष्ठ स्टॉक सत्यापन का महत्वपूर्ण कार्य करेगा।

कृपया यह भी नोट किया जाए कि पुस्तकालय राष्ट्रीय अवकाश को छोड़कर वर्ष भर प्रातः 9.00 बजे से मध्य रात्रि 12.00 बजे तक खुला रहता है। इसमें एक ओपन एक्सेस सिस्टम है जिसका विश्वविद्यालय के छात्रों, शोधार्थियों, शिक्षकों द्वारा अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है। इस लिए स्टॉक सत्यापन का कार्य केवल ग्रीष्म अवकाश के दौरान ही किया जा सकता है।

4. सामान सूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की पद्धति

- वर्ष 2010–2011 के लिए स्टेशनरी और अन्य उपभोज्य वस्तुओं के स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया था और कोई विसंगति नहीं पाई गई।

विश्वविद्यालय की टिप्पणियाँ

- कोई नहीं

5. सांविधिक देय राशि के भुगतान में नियमितता

- लेखाओं के अनुसार 31.3.2011 को पिछले छः महीने से अधिक अवधि की किसी भी तरह की सांविधिक देय राशि के भुगतान शेष नहीं थे।

विश्वविद्यालय की टिप्पणियाँ

- कोई नहीं

रॉफ़े रॉ

उप निदेश अधिकारी^र(लेखा)
उप वित्त अधिकारी/Dy. Finance Officer
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय
Jawaharlal Nehru University
नई दिल्ली-67/New Delhi-67